

**अध्याय-2**  
**राज्य के वित्त**



## अध्याय-2

### राज्य के वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है और गत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह अध्याय पंच-वर्षीय अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान राज्य के वित्त लेखों के आधार पर राज्य की ऋण स्थिरता और प्रमुख लोक लेखे के लेन-देन, की समग्र प्रवृत्तियों पर चर्चा करता है।

#### 2.1 2021-22 के सापेक्ष 2022-23 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए मुख्य परिवर्तन

तालिका-2.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में गत वर्ष की तुलना में हुए मुख्य परिवर्तन के संबंध में एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है। इन सभी संकेतकों को अनुवर्ती प्रस्तरों में विश्लेषित किया गया है।

तालिका-2.1: 2021-22 के सापेक्ष 2022-23 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में परिवर्तन

|   |   |
|---|---|
| राजस्व प्राप्ति में<br>14.00 प्रतिशत की वृद्धि  | <ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य की स्वयं कर प्राप्ति में 20.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>स्वयं की करेत्तर प्राप्ति में 58.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>केंद्रीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश में 7.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 4.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> </ul> |
| राजस्व व्यय में<br>12.44 प्रतिशत की वृद्धि      | <ul style="list-style-type: none"> <li>सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 7.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 16.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 8.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>सहायता अनुदान पर व्यय में 32.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> </ul>                 |
| पूँजीगत प्राप्ति में<br>21.56 प्रतिशत की वृद्धि | <ul style="list-style-type: none"> <li>गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्ति में 1.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>ऋण पूँजी प्राप्ति में 21.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> </ul>   |
| पूँजीगत व्यय में<br>8.77 प्रतिशत की वृद्धि      | <ul style="list-style-type: none"> <li>सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 48.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 11.01 प्रतिशत की कमी हुई।</li> <li>आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 9.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> </ul>  |
| ऋणों एवं अग्रिमों में<br>71.49 प्रतिशत की कमी   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 72.91 प्रतिशत की कमी हुई।</li> <li>ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 1.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> </ul>  |
| लोक ऋण  | <ul style="list-style-type: none"> <li>लोक ऋण प्राप्ति में 21.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई।*</li> <li>लोक ऋणों का पुनर्भुगतान 20.47 प्रतिशत बढ़ा।</li> </ul>  |
| लोक लेखे  | <ul style="list-style-type: none"> <li>लोक लेखा प्राप्ति में 12.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>लोक लेखा संवितरण में 10.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> </ul>   |
| नकद शेष   | <ul style="list-style-type: none"> <li>नकद शेष में 39.57 प्रतिशत की कमी हुई।</li> </ul>   |

\*जी एस टी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में 2021-22 के दौरान भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹3,333 करोड़ को छोड़कर, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से नहीं चुकाया जाना है।

## 2.2 निधियों के स्रोत एवं उपयोग


तालिका-2.2 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों एवं उपयोग के घटकों की तुलना वर्ष 2021-22 के आँकड़ों से करती है जबकि संसाधनों के संघटकों की वृद्धि तालिका-2.2 (अ) में दी गयी है। चार्ट-2.1 एवं 2.2 वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशतता के रूप में “प्राप्ति कहाँ से आयी” तथा “कहाँ व्यय हुआ” का विवरण प्रदान करते हैं।

तालिका-2.2: 2021-22 और 2022-23 के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

|       | विवरण                           | 2021-22          | 2022-23          | वृद्धि/कमी<br>(प्रतिशत में) |
|-------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| स्रोत | प्रारम्भिक रोकड़ शेष            | 3,575.97         | 3,837.19         | 7.30                        |
|       | राजस्व प्राप्तियाँ              | 43,056.99        | 49,082.70        | 13.99                       |
|       | विविध पूँजीगत प्राप्ति          | 0.00             | 11.83            | 100                         |
|       | ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली      | 17.08            | 17.30            | 1.29                        |
|       | लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)       | 4,087.85         | 956.30           | -76.61                      |
|       | लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)     | (-) 314.67       | 384.04           | -222.05                     |
|       | आकस्मिकता निधि (निवल)           | 223.88           | 90.16            | -59.73                      |
|       | <b>योग</b>                      | <b>50,647.10</b> | <b>54,379.52</b> | <b>7.37</b>                 |
| उपयोग | राजस्व व्यय                     | 38,928.95        | 43,772.73        | 12.44                       |
|       | पूँजीगत व्यय                    | 7,533.50         | 8,194.51         | 8.77                        |
|       | ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण    | 347.46           | 93.63            | -73.05                      |
|       | आर बी आई के साथ अंतिम रोकड़ शेष | 3837.19          | 2,318.65         | -39.57                      |
|       | <b>योग</b>                      | <b>50,647.10</b> | <b>54,379.52</b> | <b>7.37</b>                 |

स्रोत: वित्त लेखे।



स्रोत: वित्त लेखे।

तालिका-2.2 (अ): संसाधनों के संघटकों की वृद्धि दर

(₹ करोड़ में)

| घटक                        | 2021-22 | 2022-23 | वृद्धि दर (प्रतिशत में) |
|----------------------------|---------|---------|-------------------------|
| कर राजस्व                  | 14,176  | 17,102  | 20.64                   |
| करेत्तर राजस्व             | 2,756   | 4,367   | 58.45                   |
| केंद्रीय कर अंतरण          | 9,906   | 10,617  | 7.18                    |
| सहायता अनुदान              | 16,219  | 16,997  | 4.80                    |
| ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली | 17      | 17      | 0.00                    |
| लोक ऋण प्राप्तियाँ         | 7,473   | 5,036   | (-)/32.61               |

स्रोत: वित्त लेखे।

### 2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों और शुल्कों में राज्यांश एवं भारत सरकार (भा स) से प्राप्त सहायता अनुदान समाहित हैं।
2. **पूँजीगत प्राप्तियों** (ऋण और गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों) में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि विनिवेश से आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/व्यावसायिक बैंकों से ऋण) और भा स से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों ही राज्य की समेकित निधि के भाग हैं।


3. **निवल लोक लेखे प्राप्तियाँ:** कुछ लेन-देन, जैसे कि लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमाओं, उचंत, प्रेषणों, आदि से संबन्धित प्राप्तियाँ और संवितरण शामिल हैं, जो समेकित निधि का भाग नहीं होते हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है और यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। यहाँ सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। निधियों के संवितरण के पश्चात शेष धनराशि सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध रहती है।

#### 2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना **चार्ट-2.3** में दी गई है।

चार्ट-2.3: 2022-23 के दौरान राज्य में प्राप्तियों की संरचना



वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार के कुल संसाधनों ₹ 54,422 करोड़ में से, राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 49,083 करोड़) 90.19 प्रतिशत, पूंजीगत प्राप्तियाँ (₹ 5,065 करोड़) 9.31 प्रतिशत और निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ (₹ 274 करोड़) 0.50 प्रतिशत थीं।

### 2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

#### 2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि

तालिका-2.3 पाँच वर्ष की अवधि 2018-23 के दौरान, स रा घ उ से संबन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व की उत्प्लावकता प्रदान करती है। आगे, स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और राजस्व प्राप्तियों की संरचना क्रमशः चार्ट-2.4 एवं 2.5 में दी गई है।

तालिका-2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

| मापदंड   | 2018-19 | 2019-20  | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्र) (₹ करोड़ में)      | 31,216  | 30,723   | 38,205  | 43,057  | 49,083  |
| बजट अनुमान (ब अ) (₹ करोड़ में)                 | 35,660  | 38,955   | 42,439  | 44,151  | 51,474  |
| रा प्र की वृद्धि दर (प्रतिशत)                  | 15.17   | (-) 1.58 | 24.35   | 12.70   | 14.00   |
| राज्य का स्वयं का राजस्व (₹ करोड़ में)         | 15,498  | 15,512   | 16,109  | 16,932  | 21,469  |
| (i) स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)           | 12,188  | 11,513   | 11,938  | 14,176  | 17,102  |
| (ii) करेत्तर राजस्व (₹ करोड़ में)              | 3,310   | 3,999    | 4,171   | 2,756   | 4,367   |
| भा स से सहायता अनुदान                          | 7,707   | 8,309    | 15,527  | 16,219  | 16,997  |
| संघ करों और शुल्कों में राज्यांश (₹ करोड़ में) | 8,011   | 6,902    | 6,569   | 9,906   | 10,617  |

| मापदंड   | 2018-19  | 2019-20  | 2020-21           | 2021-22  | 2022-23  |
|--|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)                         | 29.85    | 0.09     | 3.85              | 5.11     | 26.80    |
| जी आई ए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)                             | (-) 4.68 | 7.81     | 86.87             | 4.46     | 4.80     |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद<br>(₹ करोड़ में)                        | 2,30,314 | 2,39,247 | 2,36,860          | 2,72,159 | 3,02,621 |
| स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)                                | 4.58     | 3.88     | (-) 1.00          | 14.90    | 11.19    |
| रा प्र/ब अ (प्रतिशत)   | 87.54    | 78.87    | 90.02             | 97.52    | 95.35    |
| रा प्र/स रा घ उ (प्रतिशत)                                      | 13.55    | 12.84    | 16.13             | 15.82    | 16.22    |
| उत्प्लावकता अनुपात <sup>1</sup>                                |          |          |                   |          |          |
| स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता                      | 3.31     | ला न     | ला न <sup>2</sup> | 0.85     | 1.25     |
| स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के स्वयं के राजस्व की उत्प्लावकता | 6.52     | 0.02     |                   | 0.34     | 2.39     |
| स रा घ उ के संदर्भ में सहायता अनुदान की उत्प्लावकता            | ला न     | 2.01     |                   | 0.30     | 0.43     |

स्रोत: वित्त लेखे, स रा घ उ के आँकड़े आर्थिक प्रभाग, नि. एवं महा.ले.प. के रा.वि.ले.प्र. संकलन से प्राप्त किए गए हैं।


चार्ट-2.4: स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



<sup>1</sup> उत्प्लावकता आधारभूत आँकड़ों में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय आँकड़ों की लोच अथवा जवाबदेही के स्तर को इंगित करता है।

<sup>2</sup> ला न क्रमशः 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान जी आई ए, राजस्व प्राप्तियों और स रा घ उ की नकारात्मक वृद्धि के कारण नकारात्मक आँकड़ों को दर्शाता है।

चार्ट-2.5: राजस्व प्राप्तियों के संघटकों की प्रवृत्तियाँ



- राजस्व प्राप्तियां 12.93 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि से 57.24 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹ 31,216 करोड़ से 2022-23 में ₹ 49,083 करोड़ हो गयीं। 2022-23 के दौरान गत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 6,026 करोड़ (14.00 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, यह वृद्धि संघ के करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश (₹ 711 करोड़), स्वयं के कर राजस्व (₹ 2,926 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 778 करोड़) तथा राज्य के करेत्तर राजस्व (₹ 1,611 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। बजट अनुमान की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियां 2018-19 में 87.54 प्रतिशत से 2022-23 में 95.35 प्रतिशत बढ़ गईं। हालांकि, विगत वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान इसमें आंशिक रूप से 2.17 प्रतिशत की कमी आई।
- दूसरी तरफ, 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान में 120.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, 2021-22 की तुलना में इसमें ₹ 778 करोड़ (4.80 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का लगभग 43.74 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से आया, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान ने मिलकर 56.26 प्रतिशत का योगदान दिया। इस प्रकार, उत्तराखण्ड की राजकोषीय स्थिति काफी हद तक केंद्रीय कर हस्तांतरण तथा सहायता अनुदान पर निर्भर है।
- चालू वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में 14 प्रतिशत (₹ 6,026 करोड़) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। दूसरी तरफ राजस्व व्यय में 12.44 प्रतिशत (₹ 4,844 करोड़) की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष में वृद्धि हुई। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य के स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता में व्यापक उतार-चढ़ाव था। स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता 2018-19 में 3.31 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 1.25 प्रतिशत हो गयी, जबकि स रा घ उ के संदर्भ में राज्य की स्वयं की राजस्व उत्प्लावकता 2018-19 में 6.52 प्रतिशत से काफी कम होकर 2022-23 में 2.39 प्रतिशत हो गई। 2018-23 में स्वयं की राजस्व



उत्प्लावकता में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति मुख्य रूप से राज्य के स रा घ उ में उतार-चढ़ाव के कारण थी।

- इसी प्रकार, स रा घ उ के संदर्भ में सहायता अनुदान उत्प्लावकता में भी 2019-20 से 2022-23 के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गयी। 2022-23 के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण सहायता अनुदान की उत्प्लावकता बढ़ी।

स्वयं की राजस्व उत्प्लावकता की तुलना में सहायता अनुदान की बढ़ती प्रवृत्ति अधिक निर्भरता का संकेत देती है, जबकि घटती प्रवृत्ति भारत सरकार की सहायता पर कम निर्भरता का संकेत देती है। सतत राजकोषीय स्थिरता और विकास के लिए राजस्व स्रोतों में विविधता लाना और स्थानीय कर आधार को मजबूत करना आवश्यक है।


### 2.3.3 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्यांश वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर निर्धारित किया जाता है; सहायता अनुदान में राज्यांश, एकत्र किए गए केंद्रीय करों की मात्रा एवं योजनाओं के लिए प्रत्याशित केन्द्रीय सहायता आदि द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों जिनमें स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व सम्मिलित हैं, के आधार पर किया जाता है।

2018-23 के दौरान, कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के संबंध में सकल संग्रहण एवं इनके सापेक्ष राज्य के स रा घ उ में अंश **परिशिष्ट-2.1** में प्रदर्शित है।

#### 2.3.3.1 स्वयं का कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य जी एस टी, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, निबंधन शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व तथा माल एवं यात्रियों पर कर इत्यादि शामिल हैं। राज्य की पंच-वर्षीय अवधि 2018-23 के दौरान स्वयं के कर राजस्व एवं स रा घ उ में इसके प्रतिशत के आँकड़े नीचे **चार्ट-2.6** में दिये गये हैं।



वर्ष 2018-23 के दौरान संग्रहित किए गए स्वयं के कर राजस्व का घटक-वार विवरण तालिका-2.4 में है।

तालिका-2.4: 2018-23 के दौरान घटक-वार स्वयं के कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

| शीर्ष   | 2018-19       | 2019-20       | 2020-21       | 2021-22       | 2022-23       | प्रवृत्तियाँ |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1. विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर                                | 1,883         | 1,811         | 1,858         | 2,302         | 2,555         |              |
| 2. राज्य वस्तु एवं सेवा कर                                      | 4,802         | 4,931         | 5,053         | 5,973         | 7,341         |              |
| 3. राज्य आबकारी   | 2,871         | 2,727         | 2,966         | 3,258         | 3,526         |              |
| 4. वाहनों पर कर   | 909           | 908           | 741           | 889           | 1,211         |              |
| 5. निबन्धन एवं पंजीकरण शुल्क                                    | 1,015         | 1,072         | 1,107         | 1,488         | 1,987         |              |
| 6. भू-राजस्व  | 34            | 24            | 17            | 40            | 65            |              |
| 7. अन्य कर  | 674           | 40            | 196           | 226           | 417           |              |
| <b>योग</b>  | <b>12,188</b> | <b>11,513</b> | <b>11,938</b> | <b>14,176</b> | <b>17,102</b> |              |
| राज्य के स्वयं के कर राजस्व में स्वयं के कर राजस्व की प्रतिशतता | 78.64         | 74.22         | 74.11         | 83.72         | 79.66         |              |
| कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व की प्रतिशतता      | 39.04         | 37.47         | 31.25         | 32.92         | 34.84         |              |


स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में, 11.49 प्रतिशत वार्षिक औसत दर के साथ, 2018-19 में ₹ 12,188 करोड़ से 2022-23 में ₹ 17,102 करोड़ तक ₹ 4,914 करोड़ की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, कर राजस्व में मुख्य अंशदाता वस्तु एवं सेवा कर (42.92 प्रतिशत), राज्य आबकारी (20.62 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (14.94 प्रतिशत) और निबंधन एवं पंजीकरण शुल्क (11.62 प्रतिशत) थे। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्वयं के कर राजस्व में ₹ 2,926 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 1,368 करोड़), निबंधन एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 499 करोड़), वाहनों पर कर (₹ 322 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 268 करोड़) और बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 253 करोड़), में वृद्धि के कारण हुई। हालांकि, स्वयं के कर राजस्व की कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता में विगत पाँच वर्षों (2018-19 से 2022-23) के दौरान 39.04 से 34.84 प्रतिशत तक गिरावट देखी गई।

### 2.3.3.2 राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी)

2005 में मूल्य वर्धित कर (वैट) लागू होने के 12 वर्ष पश्चात, केंद्र सरकार ने 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) लागू किया। उत्तराखण्ड वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) अधिनियम, 2017 राज्य विधानसभा द्वारा मई 2017 में पारित हुआ और 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ।

चार्ट-2.7: वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान एस जी एस टी के अंतर्गत तुलनात्मक प्राप्तियाँ



जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि एस जी एस टी का संग्रह 37.96 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से 2018-19 में ₹ 4,802 करोड़ से ₹ 2,539 करोड़ (52.87 प्रतिशत) बढ़कर 2022-23 में ₹ 7,341<sup>3</sup> करोड़ हो गया। विगत वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष के दौरान इसमें ₹ 1,368 करोड़ (22.90 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

### 2.3.3.3 राजस्व के बकाए एवं निर्धारण के बकाए का विश्लेषण

राजस्व का बकाया रहना सरकार को देय राजस्व की विलंबित वसूली का सूचक है। इसी प्रकार, निर्धारण का बकाया संभावित राजस्व को दर्शाता है जो विलंब से निर्धारण के कारण अवरुद्ध रहता है। दोनों ही, राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

#### राजस्व का बकाया

31 मार्च 2023 को वाणिज्यिक कर/मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत ₹ 8,061.87 करोड़ राजस्व का बकाया था, जिसमें से ₹ 3,592.19 करोड़ (44.55 प्रतिशत) विगत पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित था, जैसा कि तालिका-2.5 में नीचे दिखाया गया है।

तालिका-2.5: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

| राजस्व शीर्ष <sup>4</sup>    | 31 मार्च तक बकाया कुल धनराशि (₹ करोड़ में) |                  |                  |                  |                  | 31 मार्च तक पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित धनराशि (₹ करोड़ में) |                 |                 |                 |                  |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                              | 2018-19                                    | 2019-20          | 2020-21          | 2021-22          | 2022-23          | 2018-19   | 2019-20         | 2020-21         | 2021-22         | 2022-23          |
| वाणिज्यिक कर/मूल्य वर्धित कर | उ न  | 10,205.69        | 11,821.59        | 11,457.98        | 8,061.87         | उ न   | 3,227.82        | 3,968.17        | 4,495.01        | 3,592.19         |
| राज्य आबकारी                 | उ न  | 67.51            | उ न              | 160.47           | सूचना प्रतीक्षित | उ न   | 67.29           | उ न             | 114.16          | सूचना प्रतीक्षित |
| <b>योग</b>                   |  | <b>10,273.20</b> | <b>11,821.59</b> | <b>11,618.45</b> | <b>8,061.87</b>  |   | <b>3,295.11</b> | <b>3,968.17</b> | <b>4,609.17</b> | <b>3,592.19</b>  |

स्रोत: वाणिज्यिक कर एवं राज्य आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

<sup>3</sup> वर्ष 2022-23 के दौरान आरबीआई के आंकड़ों और राज्य जीएसटी के वित्त लेखों में दर्ज आंकड़ों के बीच कोई अंतर नहीं था।

<sup>4</sup> राज्य कर एवं राज्य आबकारी विभाग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर। वि व 2022-23 हेतु आबकारी विभाग द्वारा ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

वाणिज्यिक कर/ मूल्य वर्धित कर के संदर्भ में कुल बकाया धनराशि 2019-20 में ₹ 10,205.69 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ 8,061.87 करोड़ हो गयी है, जबकि 2019-23 के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी जा रही है। चालू वर्ष में यह गत वर्ष की तुलना में ₹ 3,396.11 करोड़ (29.64 प्रतिशत) कम हो गया है। पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राजस्व में भी उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गयी है और 2019-20 की तुलना में इसमें ₹ 364.37 करोड़ की वृद्धि हुई है। हालाँकि, चालू वर्ष 2022-23 में यह विगत वर्ष से ₹ 902.82 करोड़ (20.08 प्रतिशत) कम हो गया। ऐसे में राज्य सरकार को अपनी राजस्व वसूली के लिए अपने प्रयास बढ़ाने होंगे।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सरकार ने कहा कि राजस्व की जल्द वसूली के लिए संबंधित विभागों के साथ मामला उठाया जाएगा।

### निर्धारण में बकाया

राज्य कर विभाग द्वारा सूचित, वर्ष के प्रारम्भ में लंबित प्रकरण, निर्धारण हेतु लम्बित होने वाले प्रकरण, वर्ष के दौरान निपटाए गए प्रकरण और वर्ष के अंत में अंतिम रूप दिये जाने हेतु लंबित प्रकरणों से संबन्धित पूर्ण विवरण तालिका-2.6 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.6: निर्धारण हेतु बकाया

| राजस्व शीर्ष                   | वर्ष    | प्रारम्भिक शेष (मामलों की संख्या) | वर्ष के दौरान निर्धारण के लिए लम्बित नये मामले | कुल बकाया निर्धारण | वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले | वर्ष के अंत में शेष | निपटान की प्रतिशतता |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| वाणिज्यिक कर/मूल्य वर्धित कर   | 2018-19 | -----ला न -----                   |  |                    |                               |                     |                     |
|                                | 2019-20 | 60,504                            | 1,28,105                                       | 1,88,609           | 73,885                        | 1,14,724            | 39                  |
|                                | 2020-21 | 1,14,724                          | 33,426   | 1,48,150           | 79,304                        | 68,846              | 54                  |
|                                | 2021-22 | 68,846                            | 11,825   | 80,671             | 79,781                        | 890                 | 99                  |
|                                | 2022-23 | 890                               | 9,106  | 9,996              | 8,677                         | 1,319               | 87                  |
| वाणिज्यिक कर/वस्तु एवं सेवा कर | 2018-19 | -----ला न -----                   |  |                    |                               |                     |                     |
|                                | 2019-20 | -----ला न -----                   |  |                    |                               |                     |                     |
|                                | 2020-21 | -----ला न -----                   |  |                    |                               |                     |                     |
|                                | 2021-22 | 0                                 | 4,175  | 4,175              | 3,564                         | 611                 | 85                  |
|                                | 2022-23 | 611                               | 12,457   | 13,068             | 5,524                         | 7,544               | 42                  |

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, मूल्य वर्धित कर के अन्तर्गत निपटान हेतु शेष मामले 2020-23 के दौरान काफी कम हो गए हैं। हालांकि, वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत इसमें बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गयी। जी एस टी के अन्तर्गत कुल लम्बित कर निर्धारण में विगत वर्ष 2021-22 की तुलना में 213 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि, निपटान का प्रतिशत 2021-22 के 85 प्रतिशत से घटकर 42 प्रतिशत हो गया।

### विभाग द्वारा पता लगाए गए कर चोरी, वापसी आदि के प्रकरण

कराधान विभाग द्वारा कर चोरी के पता लगाए गए मामलों, अंतिम रूप दिये गए प्रकरणों और अतिरिक्त करों की माँग किए गए प्रकरण राज्य सरकार की राजस्व संग्रहण

के प्रयत्नों के महत्वपूर्ण सूचक हैं। कर वापसी के प्रकरणों का त्वरित निपटान, विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। वापसी प्रकरणों का अधिक मात्रा में लंबित रहना लाल फीताशाही, निहित स्वार्थ, और रिश्वत खोरी के प्रचलन आदि का सूचक है। राज्य कर विभाग द्वारा कर चोरी के पता लगाए गए प्रकरणों का विवरण तालिका-2.7 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.7: कर चोरी का पता लगना

| राजस्व शीर्ष      | 31 मार्च 2022 तक लंबित मामले | 2022-23 के दौरान पता चले मामले | कुल | उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जाँच पूरी हुई और जुर्माना आदि के साथ अतिरिक्त माँग की गई |                                 | 31 मार्च 2023 तक अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|--|---------------------------------|---|
|                   |                              |                                |     | मामलों की संख्या   | माँग की गई धनराशि (₹ करोड़ में) |   |
| मूल्य वर्धित कर   |                              |                                |     | शून्य  |                                 |   |
| वस्तु एवं सेवा कर | 254                          | 203                            | 457 | 316  | 459.52                          | 141   |

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

### कर वापसी के प्रकरण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत कर वापसी के प्रकरणों का विवरण तालिका-2.8 में नीचे दिया है।

तालिका-2.8: 31 मार्च 2023 तक कर वापसी के प्रकरणों का विवरण (₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण                                | जी एस टी         |        | वाणिज्यिक कर/ मूल्य वर्धित कर |        |
|----------|--------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------|--------|
|          |                                      | मामलों की संख्या | धनराशि | मामलों की संख्या              | धनराशि |
| 1.       | वर्ष के प्रारम्भ में बकाया के प्रकरण | 16               | 14.31  | 1,000                         | 7.25   |
| 2.       | वर्ष के दौरान प्राप्त दावे           | 1,390            | 334.86 | 622                           | 176.06 |
| 3.       | वर्ष के दौरान की गई कर वापसी         | 1,100            | 306.20 | 1,036                         | 170.28 |
| 4.       | वर्ष के दौरान अस्वीकार कर वापसी      | 225              | 29.58  | 56                            | 5.62   |
| 5.       | वर्ष के अंत में अदत्त शेष            | 81               | 13.39  | 530                           | 7.41   |

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है जी एस टी के अंतर्गत 1,390 प्रकरण प्राप्त हुए और ₹ 306.20 करोड़ कर वापसी के रूप में भुगतान करने के पश्चात 1,100 प्रकरणों का निपटारा किया गया जबकि, वाणिज्यिक कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत 622 प्रकरण प्राप्त हुए और ₹ 170.28 करोड़ का कर वापसी के रूप में भुगतान करने के पश्चात 1,036 प्रकरणों का निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि बिक्री, व्यापार इत्यादि (मुख्य शीर्ष 2040) पर कर के अन्तर्गत ₹ 17.13 करोड़ का तथा अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (मुख्य शीर्ष 2853) के अंतर्गत ₹ 5.36 करोड़ का कर वापस किया गया जबकि इसे संबन्धित प्राप्ति शीर्ष के अंतर्गत भुगतान किया जाना चाहिए था।

### 2.3.3.4 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में ब्याज की प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान करेत्तर राजस्व संग्रहण का घटक-वार विवरण तालिका-2.9 में दिया गया है।

तालिका-2.9: 2018-19 से 2022-23 के दौरान घटक-वार करेत्तर राजस्व (₹ करोड़ में)

| शीर्ष   | 2018-19  | 2019-20  | 2020-21  | 2021-22  | 2022-23  | प्रवृत्तियाँ |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग                           | 480.86   | 396.75   | 506.41   | 575.01   | 472.13   |              |
| वानिकी एवं वन्य जीव                                     | 368.73   | 410.16   | 512.27   | 511.55   | 474.93   |              |
| ब्याज प्राप्तियाँ                                       | 55.70    | 47.81    | 98.52    | 403.55   | 759.04   |              |
| शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति                             | 81.48    | 198.83   | 259.59   | 268.57   | 227.19   |              |
| शहरी विकास  | 1.22     | 35.57    | 15.08    | 190.98   | 30.99    |              |
| चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य                               | 99.57    | 183.84   | 168.75   | 177.85   | 188.50   |              |
| विद्युत्  | 186.67   | 0.30     | 70.35    | 111.23   | 72.46    |              |
| पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिलाभ के लिए योगदान एवं वसूली  | 1,714.70 | 2,492.90 | 2,109.78 | 61.57    | 1711.37  |              |
| लाभांश एवं लाभ  | 18.69    | 14.08    | 41.02    | 35.05    | 25.07    |              |
| अन्य  | 302.26   | 218.57   | 388.80   | 420.60   | 404.87   |              |
| योग   | 3,309.88 | 3,998.81 | 4,170.57 | 2,755.96 | 4,366.55 |              |
| राज्य के स्वयं के राजस्व से करेत्तर राजस्व की प्रतिशतता | 21.36    | 25.78    | 25.89    | 16.28    | 20.34    |              |
| कुल राजस्व प्राप्तियों से करेत्तर राजस्व की प्रतिशतता   | 10.60    | 13.02    | 10.92    | 6.40     | 8.90     |              |


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

पाँच वर्ष की अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान, करेत्तर राजस्व, राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति का छः प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक रहा।

### 2.3.4 केन्द्रीय अंतरण

केन्द्रीय अंतरण मुख्य रूप से (i) संघ करों और शुल्कों की निवल आय में अंश और (ii) सहायता अनुदान से गठित होता है। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्र प्रायोजित योजना और केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजना के लिए अनुदान अब राज्य बजट के माध्यम से दिए जा रहे हैं। केन्द्रीय अन्तरण मुख्य रूप से वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर हैं। विगत 10 वर्षों में केन्द्रीय अन्तरण की प्रवृत्ति नीचे दिए गए चार्ट-2.8 में दी गई है।

चार्ट-2.8: विगत दस वर्षों में केन्द्रीय अंतरण की प्रवृत्ति



### 2.3.4.1 केंद्रीय कर अंतरण

चौदहवें वि आ ने अनुसंशा की थी कि वर्ष 2015-16 से केंद्रीय करों में राज्यांशों में 42 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाए। फलस्वरूप, केन्द्रीय करों से निवल आय में (सेवा कर के अतिरिक्त) उत्तराखण्ड का अंश 1.052 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। हालांकि, पंद्रहवें वित्त आयोग (पंद्रहवें वि आ) द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए अंश बढ़ाकर 1.104 प्रतिशत तथा 2021-22 एवं 2022-23 के लिए बढ़ाकर 1.118 प्रतिशत कर दिया गया था। वित्त आयोग के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक हस्तांतरण को तालिका-2.10 में नीचे दिया है।

तालिका-2.10: केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश : वास्तविक हस्तांतरण के सापेक्ष वित्त आयोग के अनुमान  
(₹ करोड़ में)

| वर्ष    | वित्त आयोग के अनुमान  | वित्त आयोग के प्रतिवेदन में प्रक्षेपण | वास्तविक कर हस्तांतरण | अन्तर        |
|---------|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1.      | 2.  | 3.                                    | 4.                    | 5.=(4-3)     |
| 2013-14 | सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.120 प्रतिशत और सेवा कर की निवल आय का 1.138 प्रतिशत (तेरहवें वित्त आयोग की अनुसंशा के अनुसार)           | 3,727.00                              | 3,573.38              | (-) 153.62   |
| 2014-15 | सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.052 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की निवल आय का 1.068 प्रतिशत (चौदहवें वि आ की अनुसंशा के अनुसार) | 4,396.00                              | 3,792.30              | (-) 603.70   |
| 2015-16 | सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.052 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की निवल आय का 1.068 प्रतिशत (चौदहवें वि आ की अनुसंशा के अनुसार) | 6,112.00                              | 5,333.19              | (-) 778.81   |
| 2016-17 | सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.052 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की निवल आय का 1.068 प्रतिशत (चौदहवें वि आ की अनुसंशा के अनुसार) | 7,053.00                              | 6,411.55              | (-) 641.45   |
| 2017-18 | सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.052 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की निवल आय का 1.068 प्रतिशत (चौदहवें वि आ की अनुसंशा के अनुसार) | 8,150.00                              | 7,084.91              | (-) 1,065.09 |
| 2018-19 | सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.052 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की निवल आय का 1.068 प्रतिशत (चौदहवें वि आ की अनुसंशा के अनुसार) | 9,429.00                              | 8,011.59              | (-) 1,417.41 |
| 2019-20 | सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.052 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की निवल आय का 1.068 प्रतिशत (चौदहवें वि आ की अनुसंशा के अनुसार) | 10,921.00                             | 6,901.54              | (-) 4,019.46 |
| 2020-21 | सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.104 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुसंशाओं के अनुसार)  | 9,441.00                              | 6,568.72              | (-) 2,872.28 |
| 2021-22 | सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.118 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग की 2021-26 के प्रतिवेदन की अनुसंशाओं के अनुसार)  | 7,363.05                              | 9,906.25              | 2,543.20     |
| 2022-23 | सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.118 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग की 2021-26 के प्रतिवेदन की अनुसंशाओं के अनुसार)  | 8,190.78 <sup>5</sup>                 | 10,617.00             | 2,426.22     |

स्रोत: प वि आ एवं वित्त लेख।

राज्य को वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान केन्द्रीय कर के अन्तरण का विवरण तालिका-2.11 में दिया गया है।

तालिका-2.11: केन्द्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

| शीर्ष                                 | 2018-19  | 2019-20  | 2020-21  | 2021-22  | 2022-23  |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| निगम कर                               | 2,786.13 | 2,353.14 | 1,981.20 | 2,985.75 | 3,559.58 |
| सीमा शुल्क                            | 567.89   | 437.46   | 349.64   | 676.32   | 417.39   |
| आय कर                                 | 2,051.86 | 1,843.85 | 2,031.05 | 2,938.64 | 3,474.95 |
| वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क | 4.14     | 4.37     | 4.69     | 9.47     | 17.47    |
| सेवा कर                               | 73.45    | 00       | 28.21    | 127.78   | 16.62    |

<sup>5</sup> राज्यों को कर हस्तांतरण ₹ 732628\*1.118% = ₹ 8,190.78

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

| शीर्ष  | 2018-19         | 2019-20         | 2020-21         | 2021-22         | 2022-23          |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| संपदा कर   | 1.02            | 0.1             | 00              | 0.62            | 0                |
| संघ उत्पाद शुल्क                                   | 377.39          | 304.15          | 220.89          | 337.81          | 130.97           |
| आय एवं व्यय पर अन्य कर                             | 14.51           | 00              | 00              | 0.02            | 00               |
| सी जी एस टी  | 1,977.40        | 1,958.47        | 1953.04         | 2,829.84        | 3,000.03         |
| आई जी एस टी  | 157.8           | 00              | 00              | 00              | 00               |
| <b>कुल केन्द्रीय करों का अंतरण</b>                 | <b>8,011.59</b> | <b>6,901.54</b> | <b>6,568.72</b> | <b>9,906.25</b> | <b>10,617.01</b> |
| गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता | 13.08           | -13.86          | -4.82           | 50.81           | 7.17             |
| केंद्रीय कर अंतरण की राजस्व प्राप्ति से प्रतिशतता  | 25.67           | 22.46           | 17.19           | 23.01           | 21.63            |

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

पाँच वर्ष की अवधि (2018-19 से 2022-23) के दौरान, केन्द्रीय करों के अंतरण में 2018-19 में ₹ 8,012 करोड़ से वर्ष 2022-23 में ₹ 10,617 करोड़ तक 32.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान, इसमें ₹ 711 करोड़ (7.17 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 574 करोड़), आय कर (₹ 536 करोड़) तथा सी जी एस टी (₹ 170 करोड़) अधिक प्राप्त होने के कारण हुई है। वर्ष के दौरान केन्द्रीय करों का अंतरण राजस्व प्राप्तियों का 21.63 प्रतिशत था। आगे, जैसा कि तालिका-2.10 में वर्णित है, राज्य ने वर्ष 2013-14 से 2020-21 की अवधि के दौरान वित्त आयोगों के प्रतिवेदनों (XIII, XIV एवं XV) में अनुमानों के अनुसार केंद्रीय करों एवं शुल्कों का अपना अंश प्राप्त नहीं किया है। हालांकि, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान, केंद्रीय करों में अंश, पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान से ₹ 2,543 करोड़ एवं ₹ 2,426 करोड़ अधिक था।

### 2.3.4.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान राज्य को भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (जी आई ए) तालिका-2.12 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.12: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

| शीर्ष  | 2018-19      | 2019-20      | 2020-21       | 2021-22       | 2022-23       |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 केंद्र प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान | 4,966        | 4,477        | 6,166         | 5,219         | 5,969         |
| 2 वित्त आयोग अनुदान                              | 485          | 975          | 6,865         | 9,424         | 8,501         |
| 3 राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान                   | 2,256        | 2,857        | 2,496         | 1,576         | 2,527         |
| <b>कुल (1+2+3)</b>                               | <b>7,707</b> | <b>8,309</b> | <b>15,527</b> | <b>16,219</b> | <b>16,997</b> |
| गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता           | (-) 5        | 8            | 87            | 4             | 5             |
| राजस्व प्राप्ति से जी आई ए की प्रतिशतता          | 25           | 27           | 41            | 38            | 35            |

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

2018-19 से 2022-23 तक भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 9,290 करोड़ (120.54 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान इसमें



₹ 778 करोड़ (4.80 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान सहायता अनुदान राजस्व प्राप्तियों का 35 प्रतिशत था। 2022-23 के दौरान, राज्य को वित्त आयोग अनुदान (₹ 8,501 करोड़) प्रदान किया गया जिसमें राजस्व घाटा अनुदान (₹ 7,137 करोड़), स्थानीय निकायों के लिए अनुदान (₹ 479 करोड़), राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस डी आर एफ) (₹ 787 करोड़) और राज्य आपदा निवारण कोष (₹ 98 करोड़) शामिल हैं। यह वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 50.01 प्रतिशत था। राज्य को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए दिया गया अनुदान (₹ 5,969 करोड़) वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 35.12 प्रतिशत था।

वर्ष के दौरान, राज्य द्वारा प्राप्त अन्य अनुदान मुख्य रूप से जी एस टी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति (₹ 2,136 करोड़) के सम्बन्ध में थे।

### 2.3.4.3 एकल नोडल एजेंसी

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13) पी एफ एम एस / एफ सी डी/2020 दिनांक 23-03-2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सी एस एस) के अन्तर्गत धन जारी करने और एस एन ए के माध्यम से जारी धन के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की थी। प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए, एस एन ए की स्थापना राज्य सरकार द्वारा सरकारी कार्य संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में स्वयं के खाते के साथ की जाती है। प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खातों में प्राप्त केंद्रीय अंश को संबंधित राज्य के अंश के साथ संबंधित एस एन ए खाते में स्थानांतरित करना है।

वर्ष 2022-23 के लिए पी एफ एम एस पोर्टल के प्रतिवेदन का परीक्षण करने पर लेखापरीक्षा द्वारा निम्न पाया गया:

- (i) 19 सी एस एस में, भारत सरकार ने राज्य को ₹ 3,263.53 करोड़ हस्तांतरित किए, जिसके सापेक्ष उसने एस एन ए के खाते में केंद्रीय हिस्से के रूप में केवल ₹ 2,482.91 करोड़ जारी किए थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 780.62 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ, जबकि 39 सी एस एस में, राज्य ने भारत सरकार के हिस्से से अधिक ₹ 853.87 करोड़ हस्तांतरित किए।
- (ii) 2022-23 के दौरान 110 राज्य संबद्ध योजनाओं में बिना खर्च की गई ₹ 3,331.68 करोड़ की शेष धनराशि थी।
- (iii) राज्य ने 43 सी एस एस में अपने आनुपातिक राज्य के हिस्से से ₹ 675.96 करोड़ की अधिक धनराशि जारी की।
- (iv) राज्य ने 15 सी एस एस में अपने आनुपातिक राज्य के हिस्से से ₹ 124.97 करोड़ की कम धनराशि जारी की।

- (v) केंद्रीय अंश के रूप में 2022-23 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 4,916.41 करोड़ के सापेक्ष, राज्य सरकार ने ₹ 4,988.15 करोड़ के केंद्रीय अंश, ₹ 1,303.48 करोड़ के राज्य अंश और ₹ 81.18 करोड़ को अवर्गीकृत राशि के रूप में एस एन ए को हस्तांतरित किया।

महालेखाकार (ले एवं हक) कार्यालय को वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर एवं सहायक दस्तावेज एस एन ए से प्राप्त नहीं हुए थे।

#### 2.3.4.4 पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुदान

जैसाकि पूर्व प्रस्तर में इंगित किया गया है पं वि आ के अनुदान राज्यों को स्थानीय निकाय तथा राज्य आपदा मोचन निधि हेतु प्रदान किया गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य को प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका-2.13 में दिया गया है।

तालिका-2.13: पं वि आ की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किया गया अनुदान  
(₹ करोड़ में)

| अंतरण                              | 2022-23 के लिए पं वि आ की अनुशंसा | 2022-23 के दौरान भा स से वास्तविक अवमुक्त |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. स्थानीय निकाय                   | 657                               | 478                                       |
| (अ) पी आर आई को अनुदान             | 440                               | 307                                       |
| (ब) यू एल बी को अनुदान             | 217                               | 171                                       |
| 2. राजस्व घाटा अनुदान              | 7,137                             | 7,137                                     |
| 3. आपदा मोचन निधि (केंद्रान्श)     | 984                               | 886                                       |
| 4. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान | 150                               | 0.00                                      |
| <b>महायोग</b>                      | <b>8,928</b>                      | <b>8,501</b>                              |

स्रोत: वित्त विभाग, उत्तराखण्ड।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य को पी आर आई, यू एल बी और आपदा मोचन निधि में पंद्रहवें वि आ की अनुशंसा से कम अंश प्राप्त हुआ। हालाँकि, राज्य सरकार को राजस्व घाटा अनुदान हेतु वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार पूर्ण अंश प्राप्त हुआ। राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पंद्रहवें वि आ द्वारा अनुशंसित ₹ 150 करोड़ की धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

#### 2.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियाँ में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि विनिवेश से आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों से कर्ज की प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/व्यापारिक बैंकों से उधारियाँ) एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। तालिका-2.14 में निवल पूँजीगत प्राप्तियाँ की वृद्धि एवं संरचना की प्रवृत्तियाँ को दर्शाया गया है।

तालिका-2.14: निवल पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

| राज्य के पूँजीगत प्राप्तियों के स्रोत      | 2018-19   | 2019-20   | 2020-21  | 2021-22   | 2022-23   |
|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 1. पूँजीगत प्राप्तियाँ (कुल)               | 7,302     | 6,167     | 9,810    | 7,490     | 5,065     |
| 1.1 विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ              | 00        | 00        | 0.20     | 0         | 12        |
| 1.2 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली             | 27        | 19        | 23       | 17        | 17        |
| 1.3 लोक ऋण प्राप्तियाँ                     | 7,275     | 6,148     | 9,787    | 7,473     | 5,036     |
| आंतरिक ऋण                                  | 7,170     | 6,078     | 6,728    | 3,787     | 3,817     |
| वृद्धि दर                                  | (-) 3.26  | (-) 15.23 | 10.69    | (-) 43.71 | 0.79      |
| भा स से ऋण एवं अग्रिम (निवल)               | 105       | 70        | 3,059    | 3,686     | 1,219     |
| वृद्धि दर                                  | (-) 7.89  | (-) 33.33 | 4,270.00 | 20.50     | (-) 66.93 |
| ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर        | (-) 3.34  | (-) 15.49 | 59.19    | (-) 23.64 | (-)32.61  |
| गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर    | (-) 20.59 | (-) 29.63 | 22.11    | (-) 26.72 | 70.59     |
| स रा घ उ की वृद्धि दर                      | 4.58      | 3.88      | (-)1.00  | 14.90     | 11.19     |
| पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत) | (-) 3.41  | (-) 15.54 | 59.08    | (-) 23.65 | (-)32.38  |
| कुल प्राप्तियों से पूँ प्रा की प्रतिशतता   | 18.96     | 16.72     | 20.43    | 14.82     | 9.35      |

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख।

पूँजीगत प्राप्तियों में 2018-19 में ₹ 7,302 करोड़ से 2022-23 में ₹ 5,065 करोड़ तक ₹ 2,237 करोड़ (30.64 प्रतिशत) की कमी हुई। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान ₹ 2,425 करोड़ (32.38 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों में कमी (₹ 2,467 करोड़) के कारण हुई।

लोक ऋणों की प्राप्तियां भविष्य के पुनर्भुगतान दायित्वों की संरचना करती हैं और ये बाजार, वित्तीय संस्थाओं एवं भारत सरकार से प्राप्त किए जाते हैं। पंच-वर्षीय अवधि 2018-23 के दौरान, लिए गए लोक ऋणों की प्राप्तियों (₹ 35,719 करोड़) में से 39.93 प्रतिशत का उपयोग लोक ऋणों के पुनर्भुगतान (₹ 14,261 करोड़) में किया गया तथा शेष 60.07 प्रतिशत का उपयोग अन्य उद्देश्यों पर किया गया।

## 2.5 संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके स्वयं के संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर एवं करेत्तर स्रोत सम्मिलित हैं, के संदर्भ में किया जाता है। 2022-23 के दौरान राज्य के अपने संसाधनों के संबंध में पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुमान, बजट अनुमान एवं मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक को तालिका-2.15 में दिया गया है।

तालिका-2.15: राज्य के स्वयं के संसाधन : अनुमान के सापेक्ष वास्तविक

(₹ करोड़ में)

| राज्य के स्वयं के संसाधन | पं वि आ के अनुमान | बजट आकलन | एम टी एफ पी एस अनुमान | वास्तविक | वास्तविक से प्रतिशतता भिन्नता |          |                       |
|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------|
|                          |                   |          |                       |          | पं वि आ के अनुमान             | बजट आकलन | एम टी एफ पी एस अनुमान |
| स्वयं के कर राजस्व       | 13,796            | 15,371   | 16,952                | 17,102   | 23.96                         | 11.26    | 0.88                  |
| करेत्तर राजस्व           | 3,951             | 5,521    | 4,977                 | 4,367    | 10.53                         | -20.90   | -12.26                |

स्रोत: पं वि आ का प्रतिवेदन, बजट प्रलेख एवं वित्त लेख।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व पं वि आ के अनुमान, बजट आकलन एवं एम टी एफ पी एस के सापेक्ष क्रमशः ₹ 3,306 करोड़, ₹ 1,731 करोड़ एवं ₹ 150 करोड़ अधिक रहा। इस प्रकार, राज्य बजट और एम टी एफ पी एस में अनुमानित कर राजस्व के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हुआ था।

वर्ष 2022-23 के दौरान करेत्तर राजस्व (एन टी आर) पं वि आ के अनुमानों की तुलना में ₹ 416 करोड़ अधिक था। तथापि, यह ब आ और एम टी एफ पी एस के आंकलन के सापेक्ष क्रमशः ₹ 1,154 करोड़ और ₹ 610 करोड़ कम था। राज्य बजट और एम टी एफ पी एस में अनुमानित करेत्तर राजस्व के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था।

## 2.6 संसाधनों का उपयोग

राजकोषीय दायित्व विधान के अंतर्गत राज्य सरकार को व्यय करने का दायित्व प्रदान किया जाता है, जबकि साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य का सतत् राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया पूँजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र की विकास की दिशा में उन्मुख व्यय की कीमत पर न हो।

**राजस्व व्यय:** वह सभी व्यय जो रख-रखाव, मरम्मत, संधारण एवं कार्यदायी व्यय जो परिसम्पत्ति को क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक हों और दूसरे सभी व्यय जो किसी संगठन को दैनिक रूप से कार्य करने में आवश्यक हों, जिनमें स्थापना एवं प्रशासकीय व्यय सम्मिलित हैं, राजस्व व्यय में वर्गीकृत होते हैं।

**पूँजीगत व्यय:** वह सभी व्यय जो किसी परियोजना के प्रथम निर्माण पर और साथ ही साथ कार्य के मध्यवर्ती रख-रखाव पर होने वाले व्यय जिसे सेवा के लिए खोला न गया हो और वह व्यय भी जो कार्य के परिवर्धन एवं सुधार के लिए हों तथा जिन्हें नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता हो पूँजीगत व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

**ऋण एवं अग्रिम:** सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) और अन्य पक्षों को ऋण एवं अग्रिम।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान कुल व्यय, इसकी संरचना और स रा घ उ में इसका अंश तालिका-2.16 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.16: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

| मापदंड                | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| कुल व्यय (कु व्य)     | 38,563  | 38,399  | 43,667  | 46,810  | 52,061  |
| राजस्व व्यय (रा व्य)  | 32,196  | 32,859  | 37,091  | 38,929  | 43,773  |
| पूँजीगत व्यय (पू व्य) | 6,184   | 5,414   | 6,538   | 7,534   | 8,194   |
| ऋण एवं अग्रिम         | 183     | 126     | 38      | 347     | 94      |


| मापदंड                             | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| स स रा घ उ से प्रतिशतता के रूप में |         |         |         |         |         |
| कुल व्यय/स रा घ उ                  | 16.74   | 16.05   | 18.44   | 17.20   | 17.20   |
| राजस्व व्यय/स रा घ उ               | 13.98   | 13.73   | 15.66   | 14.30   | 14.46   |
| पूँजीगत व्यय/स रा घ उ              | 2.69    | 2.26    | 2.76    | 2.77    | 2.71    |
| ऋण एवं अग्रिम/स रा घ उ             | 0.08    | 0.05    | 0.02    | 0.13    | 0.03    |

स्रोत: वित्त लेख।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य का कुल व्यय वर्ष 2018-19 में ₹ 38,563 करोड़ से 35 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 52,061 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान यह गत वर्ष की अपेक्षा 11.22 प्रतिशत बढ़ा। स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में, कुल व्यय में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई और 2018-19 से 2022-23 के दौरान 16 प्रतिशत से 18 प्रतिशत के बीच रहा।


चार्ट-2.9 कुल व्यय में घटकों के अंश की प्रवृत्ति को दर्शाता है जबकि चार्ट-2.10 वर्ष 2022-23 के दौरान समेकित निधि से कुल संवितरण की संरचनाओं को दर्शाता है।

चार्ट-2.9: कुल व्यय: इनके घटकों के अंश की प्रवृत्तियाँ (प्रतिशत में)



चार्ट-2.10: 2022-23 के दौरान समेकित निधि से कुल संवितरण की संरचना

(प्रतिशत में)




गतिविधियों के अनुसार, ब्याज के भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा अन्य पर हुए व्यय से कुल व्यय बना है। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल व्यय ₹ 52,061 करोड़ (परिशिष्ट-2.1 से संदर्भित) में इन घटकों का संबन्धित अंश तालिका-2.17 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.17: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का संबन्धित अंश (प्रतिशत में)

| मापदंड   | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| सामान्य सेवाएँ   | 36.25   | 37.00   | 35.68   | 35.79   | 35.53   |
| सामाजिक सेवाएँ   | 34.51   | 36.99   | 38.24   | 38.10   | 38.74   |
| आर्थिक सेवाएँ  | 25.46   | 21.54   | 21.65   | 22.82   | 21.81   |
| अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान तथा सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम) | 3.78    | 4.47    | 4.43    | 3.29    | 3.92    |

चार्ट-2.11, 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए कुल व्यय में क्षेत्रवार घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट-2.11: कुल व्यय: गतिविधि के अनुसार व्यय



व्यय के उपरोक्त घटकों से संबन्धित अंश इंगित करते हैं कि वर्ष 2022-23 के दौरान गत वर्ष की तुलना में सामान्य सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं के अंशों में आंशिक कमी हुई थी। हालाँकि, सामाजिक सेवाओं तथा अन्य से संबन्धित अंशों में चालू वर्ष के दौरान वृद्धि हुई।

### 2.6.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य के बुनियादी ढाँचे और सेवा नेटवर्क में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी में योगदान नहीं देता है।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय, कुल व्यय का औसतन 84 प्रतिशत (83 प्रतिशत से 86 प्रतिशत के मध्य) रहा। पाँच वर्ष की अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है। समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय से इसके अनुपात तथा स रा घ उ और राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष उत्प्लावकता तालिका-2.18 में दर्शायी गई हैं। राजस्व व्यय की प्रवृत्ति और स रा घ उ से इसकी प्रतिशतता चार्ट-2.12 में दर्शायी गई है, जबकि चार्ट-2.13 में 2022-23 से संबन्धित राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण दर्शाया गया है।


तालिका-2.18: राजस्व व्यय - आधार मापदंड

(₹ करोड़ में)

| मापदंड   | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21  | 2021-22 | 2022-23 |
|--|---------|---------|----------|---------|---------|
| कुल व्यय (कु व्य)                              | 38,563  | 38,399  | 43,667   | 46,810  | 52,061  |
| राजस्व व्यय (रा व्य)                           | 32,196  | 32,859  | 37,091   | 38,929  | 43,773  |
| रा व्य की वृद्धि दर (प्रतिशत)                  | 10.70   | 2.06    | 12.88    | 4.96    | 12.44   |
| राजस्व व्यय कुल व्यय से प्रतिशतता के रूप में   | 83.49   | 85.57   | 84.94    | 83.16   | 84.08   |
| रा व्य/स रा घ उ (प्रतिशत)                      | 13.98   | 13.73   | 15.66    | 14.30   | 14.46   |
| रा व्य, रा प्रा की प्रतिशतता के रूप में        | 103.14  | 106.95  | 97.09    | 90.41   | 89.18   |
| राजस्व व्यय की उत्प्लावकता <sup>6</sup> के साथ |         |         |          |         |         |
| स रा घ उ (अनुपात)                              | 2.34    | 0.53    | (-)12.88 | 0.33    | 1.11    |
| राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)                    | 0.71    | (-)1.30 | 0.53     | 0.39    | 0.89    |

स्रोत: वित्त लेखे।


चार्ट-2.12: 2018-19 से 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय की प्रवृत्ति



<sup>6</sup> उत्प्लावकता आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया की मात्रा को इंगित करता है।

चार्ट-2.13: 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(प्रतिशत में)



वर्ष 2022-23 के दौरान, गत वर्ष की अपेक्षा स रा घ उ से राजस्व व्यय की प्रतिशतता अधिक थी। गत वर्ष की अपेक्षा इसमें ₹ 4,844 करोड़ (12.44 प्रतिशत) की उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी देखी गई। राजस्व व्यय मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) में दिये गए आकलन (₹ 49,594 करोड़) के सापेक्ष ₹ 5,821 करोड़ कम था।

### 2.6.1.1 राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव

तालिका-2.19, गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय से संबन्धित विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण विचलन (₹ 50 करोड़ और 25 प्रतिशत से अधिक) का विवरण दर्शाती है। सकारात्मक विचलन के साथ कुछ प्रमुख कार्यक्रम/योजनाएँ (i) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (ii) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (iii) स्थानीय निकायों और पी आर आई को क्षतिपूर्ति और कार्यभार (iv) ग्रामीण रोजगार (v) शहरी विकास (vi) जलापूर्ति एवं स्वच्छता (vii) अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (viii) पशुपालन तथा (ix) खाद्य भंडारण एवं भंडागारण थीं।

आगे, जांच के दौरान पाया गया कि वेतन, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, मानदेय, मजदूरी, ईंधन की खरीद और भोजन पर व्यय इत्यादि जैसे नियमित प्रकृति के लेनदेनों के लिए आकस्मिकता निधि से ₹ 139.30 करोड़ का राजस्व व्यय किया गया जो कि उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि, 2001 के प्रावधानों के विरुद्ध था। यह राज्य सरकार द्वारा खराब बजटिंग को दर्शाता है क्योंकि बजट की तैयारी के प्रारम्भिक चरण में स्थापना व्यय की नियमित प्रकृति का पूर्वानुमान और बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

तालिका-2.19: 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण विचलन

(₹ करोड़ में)

| मुख्य लेखा शीर्ष  | व्यय     |          | विचलन (प्रतिशतता) |             |
|---|----------|----------|-------------------|-------------|
|   | 2021-22  | 2022-23  | धनराशि में        | प्रतिशत में |
| 2210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य                             | 2,590.16 | 3,548.04 | 957.89            | 36.98       |
| 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण                             | 1,884.90 | 2,615.42 | 730.51            | 38.76       |
| 3604 स्थानीय निकायों और पी आर आई को क्षतिपूर्ति और कार्यभार | 1,540.33 | 2,040.66 | 500.33            | 32.48       |



| मुख्य लेखा शीर्ष |                                      | व्यय     |         | विचलन (प्रतिशतता) |             |
|------------------|--------------------------------------|----------|---------|-------------------|-------------|
|                  |                                      | 2021-22  | 2022-23 | धनराशि में        | प्रतिशत में |
| 2505             | ग्रामीण रोजगार                       | 130.31   | 530.41  | 400.09            | 307.03      |
| 2217             | शहरी विकास                           | 100.87   | 302.77  | 201.89            | 200.14      |
| 2215             | जलापूर्ति एवं स्वच्छता               | 469.77   | 608.75  | 138.98            | 29.59       |
| 2070             | अन्य प्रशासनिक सेवाएँ                | 156.84   | 240.46  | 83.62             | 53.32       |
| 2403             | पशुपालन                              | 240.51   | 303.84  | 63.33             | 26.33       |
| 2408             | खाद्य भंडारण एवं भंडागारण            | 88.51    | 143.60  | 55.09             | 62.24       |
| 2048             | ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोजन | 210.00   | 110.00  | -100.00           | -47.62      |
| 2220             | सूचना एवं प्रसार                     | 383.84   | 167.85  | -215.99           | -56.27      |
| 2406             | वानिकी एवं वन्य                      | 1,131.60 | 775.67  | -355.93           | -31.45      |

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका मुख्य विचलन (₹ 50 करोड़ और 25 प्रतिशत से अधिक) वाले लेखा शीर्षों को दर्शाती है। तालिका यह भी इंगित करती है कि वर्ष के दौरान सूचना एवं प्रसार और वानिकी एवं वन्य के अन्तर्गत राजस्व व्यय में गिरावट आई और ग्रामीण रोजगार, शहरी विकास, खाद्य भंडारण एवं भंडागारण, अन्य प्रशासनिक सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

### 2.6.2 वचनबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व लेखे में वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, ब्याज भुगतान एवं पेंशन सम्मिलित हैं। यह सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार है। वचनबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति, विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सरकार को कम विकल्प देती है। राज्य का एफ आर बी एम अधिनियम निर्धारित करता है कि राजस्व अधिशेष होना चाहिए, इसको प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि राजस्व व्यय का एक बड़ा अंश वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान एवं पेंशन जैसी वचनबद्ध मदों में चला जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अनम्य व्यय की कुछ मदें हैं जिन्हें आम तौर पर बदला या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है या जो पूंजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनीय लेनदेन के विपरीत वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से आवश्यक है। निम्नलिखित मदों को अनम्य व्यय के रूप में माना जा सकता है:

- स्थानीय निकायों को हस्तांतरण - वेतन और भत्ते के लिए स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण (पूंजीगत व्यय के लिए हस्तांतरण/अंतरण)।
- आरक्षित निधि में योगदान की वैधानिक आवश्यकताएं - समेकित सिंकिंग फंड (सी एस एफ), प्रतिभूति मोचन निधि (जी आर एफ), राज्य आपदा न्यूनीकरण/प्रतिक्रिया निधि (एस डी एम एफ / एस डी आर एफ), आदि में योगदान।
- आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति - वर्ष के भीतर प्रतिपूर्ति की गई धनराशि।
- उपकर को आरक्षित निधि/अन्य निकाय में स्थानांतरित करना, जो वैधानिक रूप से आवश्यक है।

- (v) प्राप्त केंद्रीय निधि के सापेक्ष सी एस एस का अंश योगदान - राज्यांश की राशि एस एन ए को हस्तांतरित किया जाना/ राज्य द्वारा व्यय किया जाना।
- (vi) ब्याज देने वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान जैसे कि उन्हें निवेश किया जा सकता था और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान भारत व्यय के रूप में- ब्याज भुगतान।

वचनबद्ध व्यय में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलापन रह जाता है। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय और उसके घटकों का रुझान विश्लेषण तालिका-2.20 में दर्शाया गया है और राजस्व व्यय में वचनबद्ध व्यय का अंश चार्ट-2.14 में दिखाया गया है।

तालिका-2.20, 2018-19 से 2022-23 के दौरान वचनबद्ध व्यय के घटकों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है। कुल राजस्व व्यय में वचनबद्ध और गैर-वचनबद्ध व्यय का अंश चार्ट-2.14 के माध्यम से दर्शाया गया है।

तालिका-2.20: वचनबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

| वर्ष  | 2018-19       | 2019-20       | 2020-21       | 2021-22       | 2022-23       |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>वचनबद्ध व्यय के घटक</b>                                  |               |               |               |               |               |
| वेतन एवं मजदूरी   | 11,525        | 11,714        | 11,755        | 12,417        | 13,515        |
| ब्याज भुगतान  | 4,475         | 4,504         | 4,773         | 4,939         | 5,104         |
| पेंशन पर व्यय   | 5,396         | 5,507         | 6,168         | 6,364         | 7,181         |
| <b>योग</b>  | <b>21,396</b> | <b>21,725</b> | <b>22,696</b> | <b>23,720</b> | <b>25,800</b> |
| <b>राजस्व प्राप्तियों (रा प्रा) की प्रतिशतता के रूप में</b> |               |               |               |               |               |
| वेतन एवं मजदूरी   | 36.92         | 38.13         | 30.77         | 28.84         | 27.53         |
| ब्याज भुगतान  | 14.34         | 14.66         | 12.49         | 11.47         | 10.40         |
| पेंशन पर व्यय   | 17.29         | 17.92         | 16.14         | 14.78         | 14.63         |
| <b>योग</b>  | <b>68.54</b>  | <b>70.71</b>  | <b>59.41</b>  | <b>55.09</b>  | <b>52.56</b>  |
| <b>राजस्व व्यय (रा व्य) की प्रतिशतता के रूप में</b>         |               |               |               |               |               |
| वेतन एवं मजदूरी   | 35.80         | 35.65         | 31.69         | 31.90         | 30.88         |
| ब्याज भुगतान  | 13.90         | 13.71         | 12.87         | 12.69         | 11.66         |
| पेंशन पर व्यय   | 16.76         | 16.76         | 16.63         | 16.35         | 16.41         |
| <b>योग</b>  | <b>66.46</b>  | <b>66.12</b>  | <b>61.19</b>  | <b>60.93</b>  | <b>58.94</b>  |
| गैर-वचनबद्ध रा व्य  | 10,800        | 11,134        | 14,395        | 15,209        | 17,973        |
| रा व्य में गैर-वचनबद्ध व्यय का प्रतिशत                      | 33.54         | 33.88         | 38.81         | 39.07         | 41.06         |
| कु व्य में गैर-वचनबद्ध व्यय का प्रतिशत                      | 28.01         | 29.00         | 32.97         | 32.49         | 34.52         |
| सब्सिडी   | 174           | 35            | 139           | 145           | 289           |
| गैर-वचनबद्ध व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी              | 1.61          | 0.31          | 0.97          | 0.95          | 1.61          |
| <b>अनम्य व्यय के घटक</b>                                    |               |               |               |               |               |
| स्थानीय निकायों को संविधिक हस्तांतरण                        | 1,459         | 1,717         | 1,932         | 1,390         | 1,492         |
| आरक्षित निधियों में योगदान                                  | 0             | 150           | 150           | 210           | 110           |
| आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति                               | 217           | 94            | 2             | 436           | 269           |
| उपकर को आरक्षित निधि अन्य निकाय में/ हस्तांतरण              | 187           | 0             | 70            | 72            | 72            |

| वर्ष  | 2018-19      | 2019-20      | 2020-21      | 2021-22      | 2022-23      |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| प्राप्त केंद्रीय निधि के सापेक्ष सीएसएस का अंश योगदान   | उ न          | उ न          | 548          | 1,047        | 728          |
| ब्याज वहन करने वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान जैसे कि उनका निवेश किया जा सकता था और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान भारत व्यय के रूप में - ब्याज भुगतान* | 40           | 43           | 156          | 156          | (-) 122*     |
| <b>योग</b>  | <b>1,903</b> | <b>2,004</b> | <b>2,858</b> | <b>3,311</b> | <b>2,549</b> |
| रा प्रा के प्रतिशतता के रूप में अनम्य व्यय  | 6.10         | 6.52         | 7.48         | 7.69         | 5.19         |
| रा व्य के प्रतिशतता के रूप में अनम्य व्यय   | 5.91         | 6.10         | 7.71         | 8.51         | 5.82         |


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख।

- \* \* केवल ब्याज-वहन निधि की देयता प्रदान की गयी है। सार्वजनिक ऋण ब्याज देयता (यदि कोई देय) उपलब्ध नहीं है।
- \* नकारात्मक आंकड़ा ब्याज के अतिरिक्त भुगतान के कारण है क्योंकि वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने ₹122.68 करोड़ के देय ब्याज के सापेक्ष ₹ 244.30 करोड़ का ब्याज भुगतान किया था।

तालिका-2.20 से पता चलता है कि राजस्व व्यय के सापेक्ष गैर-प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत 2018-19 में 33.54 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 41.06 प्रतिशत हो गया, जिसमें सब्सिडी का अनुपात 0.31 प्रतिशत से 1.61 प्रतिशत तक था।

चार्ट-2.14: राजस्व व्यय में वचनबद्ध एवं गैर-वचनबद्ध व्यय के अंश

(प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेख।

राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में वचनबद्ध व्यय 2018-19 में 66.46 प्रतिशत से 2022-23 में 58.94 प्रतिशत तक कमी आई। इस प्रकार से विकास और रखरखाव कार्यों हेतु ज्यादा निधियाँ उपलब्ध थीं। इसी तरह, राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय 2018-19 में 68.54 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 52.56 प्रतिशत हो गया। आगे, कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में गैर-वचनबद्ध व्यय 2018-19 में 28.01 प्रतिशत से चालू वर्ष में 34.52 प्रतिशत तक बढ़ गया।

### 2.6.2.1 अन्य वचनबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व लेखे में अन्य वचनबद्ध व्यय दिव्यांगों, बच्चों, औरतों और वृद्ध कमजोर एवं निराश्रितों के कल्याण के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी

योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत पेंशन पर व्यय सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, उपयोगिता बिलों के भुगतान पर व्यय जिसमें कि बिजली पर खर्च, जल प्रभार और दूरभाष प्रभार सम्मिलित हैं, भी अन्य वचनबद्ध व्यय हैं। निम्न तालिका-2.21 पिछले पाँच वर्षों के दौरान 2022-23 तक अन्य वचनबद्ध व्यय को दर्शाती है।

तालिका-2.21: अन्य वचनबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

| अन्य वचनबद्ध व्यय के घटक                          | 2018-19         | 2019-20         | 2020-21         | 2021-22         | 2022-23         |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण <sup>7</sup>           | 1,489.73        | 1,607.08        | 1,671.37        | 1,814.44        | 2,615.42        |
| उपयोगिता बिलों का भुगतान                          | 315.04          | 271.84          | 290.58          | 344.87          | 460.81          |
| <b>योग</b>  | <b>1,804.77</b> | <b>1,878.92</b> | <b>1,961.95</b> | <b>2,159.31</b> | <b>3,076.23</b> |
| राजस्व प्राप्ति (रा प्रा) के प्रतिशतता के रूप में |                 |                 |                 |                 |                 |
| सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण                        | 4.77            | 5.23            | 4.37            | 4.21            | 5.33            |
| उपयोगिता बिलों का भुगतान                          | 1.01            | 0.88            | 0.76            | 0.80            | 0.94            |
| <b>योग</b>  | <b>5.78</b>     | <b>6.11</b>     | <b>5.13</b>     | <b>5.01</b>     | <b>6.27</b>     |
| राजस्व व्यय (रा व्य) के प्रतिशतता के रूप में      |                 |                 |                 |                 |                 |
| सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण                        | 4.63            | 4.89            | 4.51            | 4.66            | 5.97            |
| उपयोगिता बिलों का भुगतान                          | 0.98            | 0.83            | 0.78            | 0.89            | 1.05            |
| <b>योग</b>  | <b>5.61</b>     | <b>5.72</b>     | <b>5.29</b>     | <b>5.55</b>     | <b>7.03</b>     |

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान अन्य वचनबद्ध व्यय राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में पाँच प्रतिशत से सात प्रतिशत के मध्य रहा।


### 2.6.2.2 वेतन एवं मजदूरी

गत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष में राजस्व व्यय में वेतन का अंश कम था। गत वर्ष में थोड़े बदलाव (1.02 प्रतिशत) के साथ वर्ष 2022-23 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय राजस्व व्यय का 30.88 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। पाँच वर्ष की अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान, यह 2018-19 में ₹ 11,525 करोड़ से ₹ 1,990 करोड़ (17.27 प्रतिशत) बढ़ कर 2022-23 में ₹ 13,515 करोड़ हो गया। वर्ष 2022-23 के दौरान वेतन पर व्यय (₹ 13,515 करोड़) एम टी एफ पी एस में अनुमानित ₹ 17,346 करोड़ के सापेक्ष ₹ 3,831 करोड़ कम था। राज्य सरकार ने वेतन व्यय के अतिरिक्त, व्यावसायिक तथा विशिष्ट सेवाओं पर ₹ 142.29 करोड़ व्यय किये तथा ₹ 1,391.96 करोड़ वेतन एवं भत्तों तथा अन्य व्ययों के लिए सहायता अनुदान के रूप में दिये।

2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान, कर्मचारियों की संख्या और भुगतान किए गए वेतन की राशि की तुलना चार्ट-2.15 में दी गई है।

<sup>7</sup> 2018-19 से 2021-22 तक केवल सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर व्यय शामिल है।

चार्ट-2.15: कर्मचारियों की संख्या और भुगतान की गई वेतन की धनराशि की तुलना



स्रोत: उत्तराखण्ड बजट का खण्ड VI और वित्त लेखे।

अवधि 2018-23 के दौरान राज्य में कर्मचारियों की संख्या में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गयी। इसमें संबंधित पिछले वर्षों की तुलना में 2021-22 में 5,490 (2.89 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और 2022-23 में 5,857 (3.00 प्रतिशत) की कमी हुई। हालाँकि वेतन व्यय में क्रमशः ₹ 662 करोड़ (5.63 प्रतिशत) और ₹ 1,098 करोड़ (8.84 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। हालांकि, कर्मचारियों की संख्या में 2018-19 की तुलना में 8,694 (4.39 प्रतिशत) की कमी आई है, जबकि वेतन व्यय में ₹ 1,990 करोड़ (17.27 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।

### 2.6.2.3 ब्याज भुगतान

2021-22 में ब्याज भुगतान ₹ 4,939 करोड़ से ₹ 165 करोड़ (3.34 प्रतिशत) बढ़ कर 2022-23 में ₹ 5,104 करोड़ हो गया, जोकि मुख्यतः बाजार ऋण पर ब्याज भुगतान ₹ 101 करोड़, विविध ब्याज भुगतान ₹ 150 करोड़ एवं जमा पर ब्याज भुगतान ₹ 42 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ जोकि अन्य आंतरिक ऋण ₹ 28 करोड़, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (रा अ ब नि) को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज ₹ 75 करोड़, तथा राज्य भविष्य निधि पर ब्याज ₹ 34 करोड़ के घटने से प्रतिसंतुलित हुआ। चालू वर्ष के दौरान, आंतरिक ऋण (₹ 4,128 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 658 करोड़), केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम (₹ 73 करोड़) और अन्य दायित्वों (₹ 245 करोड़) पर ब्याज भुगतान किया गया। चालू वर्ष के दौरान, राज्य सरकार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित सा भ नि पर ब्याज के रूप में ₹ 63.59 करोड़ की धनराशि का भुगतान करना पड़ा।

सभी डी डी ओ द्वारा प्रत्येक अभिदाता के खाते में वास्तविक ब्याज जमा किए जाने के अभाव में प्रधान महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी के सा भ नि लेखों पर ब्याज की गणना काल्पनिक रूप से की जा रही है।

ब्याज भुगतान को राज्य सरकार के बजट एवं एम टी एफ पी एस में अनुमानों के संदर्भ में तालिका-2.22 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.22: राज्य के अनुमानों के सापेक्ष ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

| वर्ष    | वास्तविक | राज्य सरकार द्वारा किया गया आकलन |                 |                |                 |
|---------|----------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|         |          | बजट                              |                 | एम टी एफ पी एस |                 |
|         |          | अनुमान                           | विचलन (प्रतिशत) | अनुमान         | विचलन (प्रतिशत) |
| 2022-23 | 5,104    | 6,018                            | 914 (15.19)     | 6,018          | 914 (15.19)     |

स्रोत: बजट दस्तावेज़ एवं वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान बजट और एम टी एफ पी एस में किए गए अपने अनुमानों से काफी कम था।

#### 2.6.2.4 पेंशन

2022-23 में पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 7,181 करोड़ था जोकि राजस्व प्राप्तियों का 14.63 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान, गत वर्ष की अपेक्षा यह 12.84 प्रतिशत (₹ 817 करोड़) बढ़ा तथा राज्य सरकार द्वारा अपने बजट (₹ 6,703 करोड़) में किए गए अनुमान से ₹ 478 करोड़ अधिक एवं तथा एम टी एफ पी एस में किए गए अनुमान (₹ 6,933 करोड़) से ₹ 248 करोड़ अधिक था। 2021-22 के सापेक्ष वर्ष के दौरान, सेवानिवृत्ति एवं सेवानिवृत्ति भत्ते और पेंशन के कम्प्यूटेड मूल्य (₹ 2,764.98 करोड़) में कुल मिलाकर ₹ 177.94 करोड़ की वृद्धि हुई, पारिवारिक पेंशन (₹ 1,333.59 करोड़) में ₹ 28.53 करोड़ की वृद्धि हुई, छुट्टी नकदीकरण लाभ (₹ 330.45 करोड़) में ₹ 44.37 करोड़ की वृद्धि हुई, और परिभाषित योगदान पेंशन योजना (₹ 822.14 करोड़) के लिए सरकारी योगदान में ₹ 114.61 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के लिए पेंशन (₹ 1,173.93 करोड़) में ₹ 280.01 करोड़ की कमी से प्रतिसंतुलित हुई।

वेतन की तुलना में पेंशन भुगतान में 2018-19 में 46.82 प्रतिशत से 2022-23 में 53.13 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। जैसाकि तालिका-2.23 में दिया गया है, यह 2021-22 में 51.25 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 53.13 प्रतिशत हो गया।

तालिका-2.23: वेतन के प्रतिशतता के रूप में पेंशन भुगतान

| घटक                              | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| पेंशन भुगतान (₹ करोड़ में)       | 5,396   | 5,507   | 6,168   | 6,364   | 7,181   |
| वेतन पर भुगतान (₹ करोड़ में)     | 11,525  | 11,714  | 11,755  | 12,417  | 13,515  |
| वेतन के सापेक्ष पेंशन का प्रतिशत | 46.82   | 47.01   | 52.47   | 51.25   | 53.13   |

#### राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत दायित्व

1 अक्टूबर 2005 को या इसके बाद नियुक्त किए गए राज्य सरकार के सभी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन पी एस) के अंतर्गत आच्छादित हैं, जोकि एक परिभाषित

अंशदायी पेंशन योजना है। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देता है तथा सरकार कर्मचारी के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत का योगदान करती है। राज्य सरकार का दायित्व है कि वह कर्मचारी एवं सरकार दोनों का अंश नामित प्राधिकरण, राष्ट्रीय सिक्क्योरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एन एस डी एल)/ट्रस्टी बैंक के पास एन पी एस के दिशा निर्देशों के अनुसार इसको आगे निवेश के लिए जमा करे।

वर्ष के दौरान, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में कुल योगदान ₹ 1,411.77 करोड़ (कर्मचारियों का योगदान ₹ 589.63 करोड़ और सरकार का योगदान ₹ 822.14 करोड़) था। सरकार द्वारा ₹ 1,431.77 करोड़ (ब्याज भुगतान ₹ 20 करोड़ सहित) को मुख्य शीर्ष-8342-117 परिभाषित योगदान पेंशन योजना के अंतर्गत लोक लेखे में हस्तांतरित किया गया। एन पी एस में सरकार का योगदान ₹ 3.34 करोड़ कम था, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य इस सीमा तक कम दर्शाया गया एवं राजकोषीय घाटा इस सीमा तक अधिक दर्शाया गया था।

वर्ष के दौरान, एन एस डी एल/ट्रस्टी बैंक को ₹ 1,447.98 करोड़ हस्तांतरित किये गए। हालाँकि, 2021-22 के अंत में एन एस डी एल को हस्तांतरित किए जाने वाले ₹ 83.21 करोड़ में से, ₹ 67 करोड़ की धनराशि अभी भी 2022-23 के अंत में हस्तांतरित नहीं की गई थी। योजना के अंतर्गत, अर्जित ब्याज के साथ असंग्रहित, बेमेल एवं अहस्तांतरित धनराशि सरकार के बकाया दायित्व को प्रदर्शित करती है।

### 2.6.2.5 सब्सिडी

विगत वर्ष के सापेक्ष, वर्ष 2022-23 के दौरान सब्सिडी पर हुए व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी जैसाकि तालिका-2.24 में दिये गए विवरण में देखा जा सकता है। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2018-19 में 0.56 प्रतिशत से 2019-20 में 0.11 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी आयी परंतु वर्ष 2020-21 में यह पुनः बढ़कर 0.36 प्रतिशत हो गई। 2021-22 में यह 0.02 प्रतिशत की मामूली कमी के बाद 2022-23 में पुनः 0.59 प्रतिशत बढ़ गयी। इसके अतिरिक्त, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2018-19 में 0.54 प्रतिशत से नाममात्र बढ़कर 2022-23 में 0.66 प्रतिशत हो गई। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान इसमें 0.29 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त विगत वर्ष की तुलना में 2022-23 में ₹ 144 करोड़ (99 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी।

तालिका-2.24: 2018-23 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

| विवरण  | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| सब्सिडी (₹ करोड़ में)                              | 174     | 35      | 139     | 145     | 289     |
| राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी | 0.56    | 0.11    | 0.36    | 0.34    | 0.59    |
| राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी        | 0.54    | 0.11    | 0.37    | 0.37    | 0.66    |

2022-23 के दौरान, जिन प्रमुख योजनाओं में सब्सिडी पर व्यय किया गया था वे दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता कृषक कल्याण योजना (₹ 45 करोड़), खाद्य भंडारण और भंडागारण (₹ 94 करोड़), मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (₹ 50 करोड़), ई डबल्यू एस मकानों के लिए अनुदान (₹ 22 करोड़), गरीब परिवारों को कुकिंग गैस हेतु अनुदान (₹ 20 करोड़), मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना (₹ 10 करोड़), पौली हाउस विविधिकरण एवं स्प्रिंकलर वॉटर पम्प योजना (₹ 9 करोड़), पर्यटन क्षेत्र की स्वरोजगार योजना एवं होम-स्टे विकास योजना हेतु ऋण (₹ 12 करोड़), सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम (₹ 5 करोड़) और खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट (₹ 5 करोड़) थी। 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने अपने बजट में ₹ 378 करोड़ सब्सिडी का आकलन किया था।

### 2.6.2.6 अंतर्निहित सब्सिडी

अंतर्निहित सब्सिडी तब उत्पन्न होती है जब सरकार सामाजिक और आर्थिक वस्तुओं/सेवाओं को वस्तुओं और सेवाओं की सरकार द्वारा वहन की गई लागत से कम कीमत पर प्रदान करती है। यह अप्रत्यक्ष रूप में या वस्तु रूप में या रियायत के रूप में दी जा सकती है। 2018-23 के दौरान सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई अंतर्निहित सब्सिडी तालिका-2.25 में दी गई है।

तालिका-2.25: 2018-23 के दौरान अंतर्निहित सब्सिडी पर व्यय

(₹ करोड़ में)

| अंतर्निहित सब्सिडी                           | 2018-19      | 2019-20      | 2020-21       | 2021-22      | 2022-23      |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| फसल बीमा                                     | 3.22         | 3.99         | 1.89          | 2.16         | 3.24         |
| सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता | 24.00        | 45.19        | 123.90        | 85.70        | 79.93        |
| <b>योग</b>                                   | <b>27.22</b> | <b>49.18</b> | <b>125.79</b> | <b>87.86</b> | <b>83.17</b> |

उपरोक्त तालिका-2.25 दर्शाती है कि राज्य सरकार द्वारा 2018-19 से 2022-23 के दौरान फसल कृषि कर्म के अन्तर्गत फसल बीमा योजना के लिए ₹ 14.50 करोड़ की धनराशि भी अंतर्निहित सब्सिडी के रूप में दी गयी और सड़क परिवहन के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को वरिष्ठ नागरिकों एवं छात्राओं को मुफ्त यात्रा सुविधा के रूप में प्रतिपूर्ति और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हेतु ₹ 358.72 करोड़ की धनराशि सहायता के रूप में दी गयी।

### 2.6.2.7 अनम्य व्यय

अनम्य व्यय के घटकों, जिनमें स्थानीय निकायों को अन्य वैधानिक हस्तांतरण और आरक्षित निधियों में योगदान शामिल हैं, में 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि देखी गई। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय 2018-23 के दौरान छह प्रतिशत से नौ प्रतिशत की सीमा में रहा। इसके अतिरिक्त, अनम्य व्यय (₹ 2,549 करोड़) गत वर्ष 2022-23 (₹ 3,311 करोड़) की तुलना में 23.01 प्रतिशत कम हो गया।



**2.6.2.8 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता**

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान एवं ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता को तालिका-2.26 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-2.26: स्थानीय निकायों आदि के लिए वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं.  | संस्थानों को वित्तीय सहायता   | 2018-19                                 | 2019-20         | 2020-21                 | 2021-22        | 2022-23         |
|---|---|---|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| 1.  | शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज, विश्वविद्यालय)                                       | 544.70                                  | 573.62          | 1,531.82                | 901.68         | 1,079.12        |
| 2.  | नगर निगम और नगर पालिकाएँ  | 717.07                                  | 902.05          | 976.91                  | 734.27         | 1,044.05        |
| 3.  | जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थान  | 742.25                                  | 814.62          | 955.29                  | 655.97         | 996.62          |
| 4.  | विकास एजेंसियाँ   | 555.82                                  | 494.84          | 539.27                  | 483.71         | 523.97          |
| 5.  | अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ   | 436.19                                  | 353.03          | 552.66                  | 630.04         | 1,068.47        |
| 6.  | ऊर्जा (ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत)   | 11.69                                   | 13.30           | 9.17                    | 13.81          | 11.07           |
| 7.  | कृषि अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान, भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए भूमि सुधार और वन्य जीवन संरक्षण | 593.57                                  | 585.49          | 915.03                  | 902.30         | 947.26          |
| 8.  | सहकारी समितियाँ   | 2.67                                    | 1.55            | 15.18                   | 14.26          | 16.85           |
| 9.  | पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन   | 41.80                                   | 51.17           | 55.77                   | 70.97          | 76.63           |
| 10.   | सचिवालय आर्थिक सेवाएँ और पर्यटन   | 51.12                                   | 47.27           | 56.38                   | 64.19          | 98.14           |
| 11.   | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण               | 216.54                                  | 238.66          | 250.85                  | 178.48         | 433.53          |
| 12.   | अन्य संस्थान  | 552.36                                  | 724.60          | 582.44                  | 1208.77        | 1,335.60        |
| <b>योग</b>  |   | <b>4,465.78</b>                         | <b>4,800.18</b> | <b>6,440.77</b>         | <b>5858.45</b> | <b>7,631.31</b> |
| रा व्य के प्रतिशतता के अनुसार सहायता                          |   | 13.87                                   | 14.61           | 17.36                   | 15.05          | 17.43           |
| वेतन हेतु अनुदान (वस्तु शीर्ष-05)                             |   | 1,028.36                                | 1,071.71        | 1,179.53                | 1,181.65       | 1,391.96        |
| पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (वस्तु शीर्ष-55) |   | 485.48                                  | 383.01          | (-)/431.63 <sup>8</sup> | 706.10         | 450.47          |
| गैर वैतनिक अनुदान (वस्तु शीर्ष-56)                            |   | 3,053.28                                | 3,129.89        | 3,409.34                | 3,312.13       | 4,747.80        |
| वस्तु के रूप में दिया गया अनुदान                              |   | सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी |                 |                         |                |                 |

स्रोत: वित्त लेखे तथा महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड का वी एन सी डाटा।

चालू वर्ष के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा प्रदान की गई सहायता में ₹ 1,772.86 करोड़ की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद तथा अन्य पंचायती राज संस्थाओं को दी गई सहायता कुल वित्तीय सहायता की 26.74 प्रतिशत लेखांकित की गई।

मई 2016 में चौथे राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं के कर राजस्व का 11 प्रतिशत धनराशि हस्तांतरण करने की सिफारिश की थी। 2018-19 से

<sup>8</sup> ऋणात्मक आँकड़ा लोक लेखा में हस्तांतरित एस डी आर एफ पर व्यय को दर्शाता है।

2022-23 के दौरान हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि और वास्तविक हस्तांतरित धनराशि तालिका-2.27 में दी गई है।

तालिका-2.27: हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि की तुलना में स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

| विवरण   | 2018-19  | 2019-20  | 2020-21  | 2021-22  | 2022-23  |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| राज्य के स्वयं के कर राजस्व (रा स्व क रा)   | 12,188   | 11,513   | 11,938   | 14,176   | 17,103   |
| हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि (2016-17 से आगे रा स्व क रा का 11 प्रतिशत)         | 1,340.68 | 1,266.43 | 1,313.18 | 1,559.36 | 1,881.33 |
| स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि  | 1,459.32 | 1,716.67 | 1,932.2  | 1,390.24 | 1,491.55 |
| स्थानीय निकायों को वास्तविक हस्तांतरित धनराशि रा स्व क रा की प्रतिशतता के रूप में | 11.97    | 14.91    | 16.19    | 9.81     | 8.72     |

स्रोत: महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड का वी एल सी डाटा और राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियाँ


उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2021-22 के दौरान उल्लेखनीय कमी के बाद 2022-23 में स्थानीय निकायों को वास्तविक हस्तांतरण मामूली रूप से बढ़ा। 2022-23 के दौरान वास्तविक हस्तांतरण राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत धनराशि से कम था।

### 2.6.3 पूँजीगत व्यय


पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) प्रमुख रूप से स्थायी बुनियादी ढाँचागत सम्पत्तियों जैसे सड़क, भवन आदि के निर्माण पर होने वाला व्यय है।

कुल पूँजीगत व्यय 2018-19 में ₹ 6,184 करोड़ से 2022-23 में ₹ 8,194 करोड़ तक बढ़ा है। चालू वर्ष में यह ₹ 660 करोड़ (8.76 प्रतिशत) बढ़ा। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य द्वारा किया गया पूँजीगत व्यय एम टी एफ पी एस लक्ष्यों में किए गए अनुमान (₹ 10,471 करोड़) और बजट में किए गए अनुमान (₹ 10,840 करोड़) के सापेक्ष क्रमशः ₹ 2,277 करोड़ एवं ₹ 2,646 करोड़ कम था। चार्ट-2.16 में पाँच वर्ष की अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान, बजट के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का विवरण दिया गया है और चार्ट-2.17 में स रा घ उ और कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति दी गई है।

चार्ट-2.16: 2018-19 से 2022-23 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति



चार्ट-2.17: पूँजीगत व्यय की स रा घ उ तथा कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रवृत्ति



### 2.6.3.1 पूँजीगत व्यय में बड़े बदलाव

तालिका-2.28 में गत वर्ष के सापेक्ष 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय में विभिन्न लेखाशीर्षों में हुई महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी अथवा कमी (₹ 50 करोड़ और 25 प्रतिशत से अधिक) को दिखाने वाले प्रकरणों को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, 2022-23 के दौरान इन लेखाशीर्षों के अन्तर्गत व्यय की प्रवृत्ति नीचे तालिका में दर्शायी गयी है:

तालिका-2.28: 2018-23 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

| मुख्य लेखाशीर्ष                                   | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | विगत वर्ष से अन्तर | प्रवृत्तियाँ |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|--------------|
| 4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत व्यय                  | 439.35  | 339.32  | 733.66  | 1050.30 | 1554.94 | 504.64(48.05)      |              |
| 4217 शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय                   | 179.39  | 469.43  | 574.95  | 385.89  | 511.90  | 126.01(32.65)      |              |
| 4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत व्यय | 154.33  | 290.10  | 398.37  | 361.46  | 476.89  | 115.43(31.93)      |              |
| 5452 पर्यटन पर पूँजीगत व्यय                       | 57.98   | 88.91   | 123.91  | 111.23  | 192.88  | 81.65(73.41)       |              |
| 4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत व्यय     | 79.54   | 105.75  | 82.10   | 97.51   | 178.28  | 80.77(82.83)       |              |
| 4885 उद्योग एवं खनिज पर पूँजीगत व्यय              | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 72.02   | 72.02(-)           |              |
| 4801 विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत व्यय           | 193.00  | 133.20  | 147.59  | 100.90  | 151.49  | 50.59(50.14)       |              |
| 4408 खाद्य भंडारण एवं भंडागारण पर पूँजीगत व्यय    | 944.48  | 569.19  | 71.29   | 493.97  | 285.32  | (-)208.65(-42.24)  |              |
| 4215 जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत व्यय       | 486.35  | 638.64  | 648.18  | 1059.87 | 550.20  | (-)509.67(-48.09)  |              |

मुख्य योजनायें जिसमें सारभूत वृद्धि/कमी चिन्हित हुई वे बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं और जलापूर्ति एवं स्वच्छता (केंद्रीय योजना/केंद्र प्रायोजित योजना) और शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति थीं।

### 2.6.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

अगर राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश जारी रखती है, जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है, वहाँ निवेश पर प्रतिलाभ की संभावना नहीं होती है। पूर्व के अनुभव से पता चलता है कि घाटे में चल रहे निगमों तथा अन्य निकायों

जैसे कि चीनी मिल, वित्त निगम आदि को दिये गए ऋणों को अनिवार्यता बढ़े खाते में डालना पड़ता है। ऐसे वित्तीय संचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाने होंगे। इस खण्ड में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश एवं अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

**(i) कंपनियों, निगमों तथा अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता**

ऐसी कंपनियों (जैसे ऊर्जा वितरण कंपनियाँ), निगमों (जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त निगम), एवं सहकारिता (जैसे चीनी मिल) जो घाटे में चल रही हैं और जिनकी निवल संपत्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, में किये गए निवेश तथा उनको दिये गए ऋण टिकाऊ नहीं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित शेयर पूँजी में निवेश पर प्रतिफल और विभिन्न निकायों को प्रदान किए गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।

2022-23 के वित्त लेखों के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में 31 मार्च 2023 तक एक संविधिक निगम तथा 16 सरकारी कंपनियों में ₹ 4,043.90 करोड़ का निवेश किया था। 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने इन निवेशों से ₹ 25.07 करोड़ प्रतिफल अर्जित किया। तालिका-2.29 में 2018-19 से 2022-23 तक पाँच वर्ष की अवधि में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए निवेश का वर्ष-वार विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-2.29: निवेश का विवरण और निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

| निवेश /प्रतिफल/ उधार की लागत   | 2018-19  | 2019-20  | 2020-21  | 2021-22  | 2022-23  |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| वर्ष के अंत तक निवेश   | 3,402.45 | 3,534.95 | 3,683.54 | 3,818.94 | 4,043.90 |
| निवेश पर प्रतिफल   | 18.69    | 14.08    | 40.02    | 35.05    | 25.07    |
| निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)   | 0.55     | 0.40     | 1.09     | 0.92     | 0.62     |
| सरकारी उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)  | 8.15     | 7.26     | 6.83     | 6.55     | 6.56     |
| औसत ब्याज दर और प्रतिफल (प्रतिशत) के बीच अंतर                                      | (-)7.60  | (-)6.86  | (-)5.74  | (-)5.63  | (-)5.94  |
| सरकारी उधारों की ब्याज दर और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण परिकल्पित नुकसान | 258.59   | 242.50   | 211.44   | 215.01   | 240.21   |

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर औसत प्रतिफल नगण्य था और निवेश के (ऐतिहासिक लागत पर) 0.40 प्रतिशत से 1.09 प्रतिशत के बीच था। गत वर्ष में 0.92 प्रतिशत के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान यह घटकर 0.62 प्रतिशत हो गया। हालांकि, सरकार ने 2018-19 से 2022-23 के दौरान अपनी उधारियों पर ब्याज का भुगतान 7.07 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से किया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने दोहराया कि सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश पर लाभ को विशुद्ध वित्तीय लाभ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे एक आर्थिक लाभ के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि सरकार सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश आम जनता

को लाभ प्रदान करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक कल्याणकारी उपाय के रूप में करती है। लेखापरीक्षा ने सरकार से सार्वजनिक उपक्रमों के आर्थिक लाभ की गणना के लिए किए गए अध्ययन, यदि कोई हो, को साझा करने का अनुरोध किया। सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल को आर्थिक चश्मे से देखने की सरकार की अवधारणा वैध है, उन चुनौतियों और बाधाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है जो व्यवहार में इन विभागों की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी निवेश से प्राप्त लाभों को अधिकतम करने के लिए परिचालन दक्षता और बाजार की गतिशीलता के साथ कल्याणकारी उद्देश्यों को संतुलित करना आवश्यक है।

### (ii) शेष राशि का समाधान

राज्य के साक्षे उ के अभिलेखों के अनुसार, अद्वैत इक्विटी, ऋण तथा प्रतिभूति के संबंध में आँकड़े उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों के आँकड़ों के साथ मेल खाने चाहिए। यदि इन आँकड़ों में कोई भिन्नता होती है तो, संबन्धित रासाक्षे उ तथा वित्त विभाग को भिन्नता का समाधान करना चाहिए। तालिका-2.30 में दिनांक 31 मार्च 2023 को इक्विटी, ऋण तथा प्रतिभूति के आँकड़ों में भिन्नता प्रदर्शित की गयी है।

तालिका-2.30: वित्त लेखों के सापेक्ष रासाक्षे उ के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋण तथा प्रतिभूति के बकायों के आँकड़े

(₹ करोड़ में)

| के सापेक्ष बकाया | वित्त लेखों के अनुसार | रासाक्षे उ के आँकड़ों के अनुसार | अंतर      |
|------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|
| अ                | ब                     | स                               | (ब-स)     |
| इक्विटी          | 4,043.90              | 3,989.52                        | 54.38     |
| ऋण               | 731.13                | 935.51                          | (-)204.38 |
| प्रतिभूति        | 33.45                 | 101.18                          | (-)67.73  |

स्रोत: विद्युत क्षेत्र के रासाक्षे उ और वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलन।

आँकड़ों में अन्तर पिछले कई वर्षों से बना हुआ है। यह अन्तर मुख्य रूप से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में प्राप्त वाउचरों के आधार पर सरकारी लेखों में निवेश की प्रविष्टियों तथा व्यक्तिगत साक्षे उ से प्राप्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिये गए विवरणों के कारण उत्पन्न हुआ। राज्य सरकार द्वारा इन साक्षे उ में किए गए निवेश में अन्तर का समाधान किया जा रहा है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सरकार ने कहा कि शेष राशि का मिलान किया जायेगा।

### (iii) राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों के बीच गलत वर्गीकरण

वर्ष 2022-23 के दौरान, उत्तराखण्ड सरकार ने गलत तरीके से पूँजी अनुभाग के बजाय राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 14.71 करोड़ (वृहद कार्य) और ₹ 0.52 करोड़ (भूमि खरीद) का व्यय दर्ज किया, जैसा कि व्यय के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है। इसके कारण राजस्व व्यय में इस सीमा तक व्यायाधिक्य हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सरकार ने कहा कि सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

**(iv) पाँच वर्षों के दौरान ऋणों के वितरण एवं वसूली की मात्रा**

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त राज्य सरकार ने बहुत सी संस्थाओं/ संगठनों को ऋण प्रदान किए हैं। तालिका-2.31, 31 मार्च 2023 को पाँच वर्षों 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के लंबित ऋणों एवं अग्रिमों के साथ ब्याज की प्राप्ति तथा भुगतान को प्रस्तुत करता है।

तालिका-2.31: 2018-23 के दौरान संवितरित ऋणों की मात्रा एवं वसूलियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| ऋणों की मात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधार की लागत            | 2018-19  | 2019-20  | 2020-21  | 2021-22  | 2022-23             |
|--|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| बकाया ऋण का प्रारम्भिक शेष                               | 1,769.97 | 1,926.54 | 2,033.40 | 2,047.91 | 2,378.28            |
| वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम धनराशि                        | 183.48   | 125.78   | 37.56    | 347.45   | 93.63               |
| वर्ष के दौरान वसूली गई धनराशि                            | 26.91    | 18.92    | 23.05    | 17.08    | 17.30               |
| लंबित ऋण का अन्त शेष                                     | 1,926.54 | 2,033.40 | 2,047.91 | 2,378.28 | 2,454.61            |
| शुद्ध वृद्धि   | 156.57   | 106.86   | 14.51    | 330.37   | 76.33               |
| प्राप्त ब्याज  | 1.13     | 25.65    | 58.78    | 359.22   | 694.88 <sup>9</sup> |
| लंबित ऋण और अग्रिम की प्रतिशतता के रूप में प्राप्त ब्याज | 0.06     | 1.33     | 2.89     | 17.54    | 29.22               |
| सरकारी उधार पर दिये गए औसत ब्याज की दर (प्रतिशत)         | 8.15     | 7.26     | 6.83     | 6.55     | 6.56                |
| ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्त के बीच अंतर (प्रतिशत)      | (-)8.09  | (-)5.93  | (-)3.94  | 10.99    | 22.66               |

31 मार्च 2023 को लंबित ऋणों एवं अग्रिमों की कुल धनराशि ₹ 2,454.61 करोड़ थी। चालू वर्ष के दौरान ऋणों के संवितरण की धनराशि 2021-22 में ₹ 347.45 करोड़ से 73.05 प्रतिशत घट कर 2022-23 में ₹ 93.63 करोड़ हो गई। आर्थिक सेवाओं में प्रमुख प्राप्तकर्ता सहकारिता क्षेत्र ₹ 74.59 करोड़ तत्पश्चात परिवहन क्षेत्र ₹ 17.76 करोड़ था। ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में गत वर्ष की तुलना में कोई उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी नहीं हुई। तथापि, इस संबंध में ब्याज प्राप्तियाँ वर्ष 2021-22 में ₹ 359.22 करोड़ से, उल्लेखनीय रूप से ₹ 335.66 करोड़ (93.44 प्रतिशत) बढ़कर 2022-23 के दौरान ₹ 694.88 करोड़ हो गयी।

कुल लंबित ऋणों की जाँच में पाया गया है कि पिछले पाँच वर्षों (मार्च 2023 तक) में पाँच क्षेत्रों नामतः सामान्य सेवाएँ (अन्य ऋण), विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास तथा परिवहन क्षेत्र द्वारा पुनर्भुगतान नहीं किया गया था जैसाकि तालिका-2.32 में वर्णित किया गया है। एक क्षेत्र (परिवहन) में, कोई भुगतान न होने के बावजूद अतिरिक्त ऋण (₹ 17.76 करोड़) दिया गया था, जबकि कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में मामूली भुगतान के बावजूद अतिरिक्त ऋण (₹ 74.59 करोड़) दिया गया था। विगत वर्षों में संपूर्ण लंबित बकायों में बढ़ोत्तरी हुई।

<sup>9</sup> इसमें मु ले-6003-111 (एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ) से संबंधित ₹ 660.16 करोड़ की धनराशि शामिल है जिसे 2017-18 और 2018-19 के दौरान अनजाने में मु ले-2049 के तहत बुक/डेबिट किया गया था। 2022-23 के दौरान मु ले-0049-800 क्रेडिट करके इसे एक टीई के माध्यम से ठीक किया गया था।

तालिका-2.32: लंबे समय के लिए बढ़ाए गए ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं.   | क्षेत्र का नाम                          | 2018-19         | 2019-20         | 2020-21         | 2021-22         | 2022-23         |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.         | सामान्य सेवाएँ (अन्य ऋण)                | 19.47           | 19.47           | 19.47           | 19.47           | 19.47           |
| 2.         | जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास | 42.09           | 42.09           | 42.09           | 42.09           | 42.09           |
| 3.         | कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ               | 1,011.24        | 1,119.57        | 1,117.47        | 1,116.47        | 1,188.91        |
| 4.         | विशेष क्षेत्र कार्यक्रम                 | 503.16          | 503.16          | 503.16          | 503.16          | 503.16          |
| 5.         | परिवहन                                  | 153.80          | 153.80          | 158.09          | 215.47          | 233.23          |
| <b>योग</b> |   | <b>1,729.76</b> | <b>1,838.09</b> | <b>1,840.28</b> | <b>1,896.66</b> | <b>1,986.86</b> |

2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए ₹ 787.90 करोड़ की धनराशि का अग्रिम दिया गया जबकि ₹ 103.26 करोड़ की धनराशि की वसूली की गई। वर्ष के प्रारम्भ में बकाया धनराशि तथा वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई धनराशि के सापेक्ष वसूली, प्रत्येक वर्ष कम हो कर वर्ष 2018-19 में 1.38 प्रतिशत से 2022-23 में 0.70 प्रतिशत हो गयी। चालू वर्ष के दौरान, पुनर्भुगतान की गयी राशि ₹ 17.30 करोड़ थी जो 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋण (₹ 2,378.28 करोड़) का 0.73 प्रतिशत थी। बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने कृषि और संबद्ध गतिविधियों और विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत बकाया ऋणों का विस्तृत विवरण प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा को अनुरोध किया।

सरकार को इन क्षेत्रों के अन्तर्गत इन बकाया ऋणों और अग्रिम शेष राशि को चुकाने के लिए अधिक समग्र और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए क्योंकि वे बहुत लंबे समय से लंबित हैं।

#### (v) अपूर्ण/जारी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी की प्रवृत्ति का आकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता की ओर संकेत करता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरुद्ध व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तथा राज्य को अपेक्षित लाभ से लंबे समय तक वंचित रखता है। आगे, संबन्धित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उधार ली गयी निधियाँ, ऋण और ब्याज की देयता के रूप में अतिरिक्त बोझ का कारण बनती हैं।

वर्ष 2022-23 के राज्य वित्त लेखे के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक लोक निर्माण विभाग में 143 अपूर्ण/चालू परियोजनाएँ थीं। 31 मार्च 2023 को इन परियोजनाओं के स्वीकृति वर्ष/कार्य प्रारम्भ होने के वर्ष के आधार पर अपूर्ण परियोजनाओं की आयु-वार रूपरेखा तालिका-2.33 में दी गयी है।

तालिका-2.33: 31 मार्च 2023 तक अपूर्ण परियोजनाओं की आयु-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

| वर्ष                              | अपूर्ण योजनाओं की संख्या | अनुमानित लागत | व्यय          | वित्तीय स्थिति (प्रतिशत में) |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 2017-18 तक स्वीकृत                | 46                       | 387.13        | 316.75        | 81.82                        |
| 2018-19                           | 7                        | 22.05         | 10.43         | 47.27                        |
| 2019-20                           | 13                       | 48.03         | 30.54         | 63.59                        |
| 2020-21                           | 18                       | 103.49        | 72.55         | 70.10                        |
| 2021-22                           | 37                       | 119.71        | 69.86         | 58.35                        |
| 2022-23                           | 13                       | 79.23         | 50.05         | 63.17                        |
| स्वीकृति/प्रारम्भ तिथि ज्ञात नहीं | 9                        | 24.58         | 14.27         | 58.07                        |
| <b>योग</b>                        | <b>143</b>               | <b>784.22</b> | <b>564.45</b> | <b>71.98</b>                 |

स्रोत: वित्त लेखे।

बिना किसी विलम्ब के इन सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि लागत वृद्धि से बचा जा सके।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सरकार द्वारा कहा गया कि परियोजनाओं को जल्द पूरा कराये जाने हेतु प्रयत्न किए जाएँगे।

**(vi) सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य के संसाधनों की उपलब्धता**

सार्वजनिक निजी सहभागिता सरकार या सांविधिक इकाई और एक निजी क्षेत्र के मध्य एक व्यवस्था है, जो कि बुनियादी विकास हेतु लोगों की माँग को पूरा करने के लिए उन्हें साथ कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु एक संरचना प्रदान करती है। तालिका-2.34 में राज्य में चल रही परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका-2.34: पी पी पी परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | क्षेत्र    | पूर्ण     |               | चल रही है |               |
|----------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
|          |            | संख्या    | अनुमानित लागत | संख्या    | अनुमानित लागत |
| 1.       | परिवहन     | 3         | 71.42         | 3         | 63.76         |
| 2.       | ऊर्जा      | 0         | 0             | 2         | 117.50        |
| 3.       | शहरी       | 5         | 441.73        | 5         | 364.55        |
| 4.       | पर्यटन     | 3         | 25.00         | 1         | 35.00         |
| 5.       | स्वास्थ्य  | 6         | 84.40         | 0         | 0             |
| 6.       | कृषि       | 0         | 0             | 1         | 380.00        |
|          | <b>योग</b> | <b>17</b> | <b>622.55</b> | <b>12</b> | <b>960.81</b> |

स्रोत: उत्तराखण्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल डैशबोर्ड (<http://www.upppc.org/projects/projects>)।

**2.7 व्यय की प्राथमिकताएँ**

मानवीय विकास स्तर को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार अपने व्यय को प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर करने के लिए कदम बढ़ाये। अगर विशेष क्षेत्र में आवंटन संबन्धित राष्ट्रीय औसत से कम है तो निम्न राजकोषीय



प्राथमिकता (एक श्रेणी के अंतर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) को दर्शाता है। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना उच्चतर हो व्यय की गुणवत्ता को उतना अच्छा समझा जाता है।

तालिका-2.35 में 2018-19 को आधार वर्ष मानते हुए, 2022-23 के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राथमिकता का उ पू एवं हिमालयी राज्यों से विकास व्यय, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूँजीगत व्यय का तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है।

तालिका-2.35: 2018-19 और 2022-23 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

| राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता   | कु व्य/<br>स रा घ उ | सा क्षे व्य/<br>कु व्य | आ क्षे व्य/<br>कु व्य | वि व्य/<br>कु व्य | पूँ व्य/<br>कु व्य | शिक्षा/<br>कु व्य | स्वास्थ्य/<br>कु व्य |
|--|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 2018-19 में औसत (अनुपात)   |                     |                        |                       |                   |                    |                   |                      |
| उ पू एवं हिमालयी   | 27.30               | 35.72                  | 29.11                 | 64.84             | 16.11              | 17.70             | 6.48                 |
| उत्तराखण्ड   | 16.74               | 34.49                  | 25.47                 | 59.96             | 16.04              | 19.13             | 5.44                 |
| 2022-23 में औसत (अनुपात)   |                     |                        |                       |                   |                    |                   |                      |
| उ पू एवं हिमालयी   | 27.24               | 38.68                  | 24.89                 | 63.57             | 15.52              | 15.77             | 6.95                 |
| उत्तराखण्ड   | 17.20               | 38.74                  | 21.80                 | 60.55             | 15.74              | 18.66             | 7.67                 |
| कु व्य: कुल व्यय; वि व्य: विकास व्यय; सा क्षे व्य: सामाजिक क्षेत्र व्यय; आ क्षे व्य: आर्थिक क्षेत्र व्यय; पूँ व्य: पूँजीगत व्यय। |                     |                        |                       |                   |                    |                   |                      |

स्रोत: एन एस ओ, एम ओ एस पी आई, आदि के डेटा पर आधारित एस एफ ए आर संकलन।

2022-23 में उत्तराखण्ड राज्य के औसत व्यय का 2018-19 के साथ तुलनात्मक अध्ययन निम्न दर्शाता है:

- स रा घ उ के अनुपात में राज्य सरकार का कुल व्यय 2018-19 की तुलना में 2022-23 में मामूली रूप से 0.46 प्रतिशत अंक बढ़ा।
- 2018-19 की तुलना में 2022-23 में कुल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र का व्यय 4.25 प्रतिशत अंक अधिक था।
- 2018-19 की तुलना में 2022-23 में कुल व्यय के अनुपात में आर्थिक क्षेत्र का व्यय 3.67 प्रतिशत अंक कम था।
- 2022-23 में कुल व्यय के अनुपात में विकास व्यय (वि व्य) और स्वास्थ्य क्षेत्र व्यय 2018-19 की तुलना में क्रमशः 0.59 एवं 2.28 प्रतिशत अंक बढ़ा।
- कुल व्यय में पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) और शिक्षा व्यय का अनुपात 2018-19 की तुलना में 2022-23 में मामूली रूप से क्रमशः 0.30 एवं 0.47 प्रतिशत अंक कम हुआ।

आगे, 2018-19 के साथ 2022-23 में उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत और उत्तराखण्ड के औसत के तुलनात्मक अध्ययन ने निम्नलिखित दर्शाया:


- राज्य में स रा घ उ के अनुपात में कुल व्यय (कु व्य) दोनों वर्षों के दौरान उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत से काफी कम रहा।
- दोनों वर्षों के दौरान राज्य में कुल व्यय के अनुपात में विकास व्यय उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत से कम था।
- 2018-19 के दौरान राज्य में कुल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र व्यय कम था। हालाँकि, 2022-23 में उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत की तुलना में यह थोड़ा अधिक (0.06 प्रतिशत अंक) अधिक था।
- राज्य में कुल व्यय के अनुपात में आर्थिक क्षेत्र व्यय उ पू और हिमालयी राज्यों के व्यय की तुलना में दोनों वर्षों के दौरान कम था।
- राज्य सरकार द्वारा शिक्षा व्यय को प्राथमिकता दी गयी थी तथा दोनों वर्षों में कुल व्यय से शिक्षा व्यय का अनुपात उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत से अधिक था।
- 2018-19 में कुल व्यय के अनुपात में स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यय उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत से कम था, हालाँकि, इसमें बहुत सुधार हुआ और यह 2022-23 में 0.72 प्रतिशत अंक अधिक था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया और कहा गया कि 2018-19 की तुलना में अधिकतर संकेतकों में सुधार है।

### वस्तु शीर्ष वार व्यय

वस्तु शीर्ष वार व्यय, व्यय के लक्ष्य/उद्देश्य के बारे में सूचना देता है। वस्तु शीर्ष वार व्यय का विवरण चार्ट-2.18 में दिया गया है।

चार्ट-2.18: वस्तु शीर्ष वार व्यय का विवरण



स्रोत: वित्त लेखे।

## 2.8 लोक लेखा

कुछ लेन देनों जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियों, जमाओं, उचन्तों, प्रेषणों इत्यादि जो कि संचित निधि का भाग नहीं होते हैं, से संबन्धित प्राप्तियों एवं संवितरण को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) द्वारा स्थापित लोक लेखा के अधीन रखा जाता है तथा ये राज्य विधायिका द्वारा मत के विषयाधीन नहीं हैं। इनके संबंध में सरकार एक बैंकर की तरह कार्य करती है। वर्ष के दौरान सरकार के पास वितरण के बाद अवशेष निधि विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग करने के लिए उपलब्ध होती है।

### 2.8.1 लोक लेखा में निवल बकाया

राज्य के लोक लेखे में वर्षों (2018-19 से 2022-23) के दौरान घटक वार निवल बकाया शेषों को नीचे तालिका-2.36 में दिया गया है।

तालिका-2.36: वर्ष के 31 मार्च को लोक लेखे में घटक-वार निवल बकाया

(₹ करोड़ में)

| क्षेत्र                           | उप-क्षेत्र                 | 2018-19          | 2019-20             | 2020-21           | 2021-22           | 2022-23          |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| आई. लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि |                            | 889.86           | 665.79              | 431.46            | 333.88            | 122.95           |
| जे<br>आरक्षित<br>निधि             | ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ | 112.77           | 2,759.12            | 89.90             | (-)467.57         | 58.04            |
|                                   | ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ | (-) 1.23         | 149.48              | 150.00            | 210               | 113.59           |
|                                   | आरक्षित निधियों से निवेश   | 0                | (-) 150.00          | (-) 150.00        | (-)210            | (-)110           |
|                                   | <b>योग</b>                 | <b>111.54</b>    | <b>2,758.60</b>     | <b>89.90</b>      | <b>(-) 467.57</b> | <b>61.63</b>     |
| के<br>जमा एवं<br>अग्रिम           | ब्याज सहित जमा             | 53.02            | (-) 2.77            | 3.57              | (-)7.36           | (-)12.79         |
|                                   | ब्याज रहित जमा             | (-) 64.08        | 504.35              | 378.43            | (-)673.73         | 357.25           |
|                                   | अग्रिम                     | 0                | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
|                                   | <b>योग</b>                 | <b>(-) 11.06</b> | <b>501.58</b>       | <b>382.00</b>     | <b>(-) 681.09</b> | <b>344.46</b>    |
| एल<br>उचंत एवं<br>विविध           | उचंत                       | 102.82           | (-) 124.82          | (-)103.72         | 285.28            | 13.22            |
|                                   | अन्य लेखे                  | 70.26            | (-) 1,039.63        | (-)490.83         | -7.46             | (-)285.41        |
|                                   | विदेशी सरकारों के साथ लेखे | (-)0.01          | 0.04                | 0                 | 0                 | 0                |
|                                   | विविध                      | 0                | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
|                                   | <b>योग</b>                 | <b>173.07</b>    | <b>(-) 1,164.41</b> | <b>(-) 594.55</b> | <b>277.82</b>     | <b>(-)272.19</b> |
| एम<br>प्रेषण                      | मनी आर्डर, और अन्य प्रेषण  | (-) 4.5          | (-) 4.38            | 0                 | (-)0.04           | (-)0.32          |
|                                   | अंतर-सरकारी समायोजन लेखे   | 683.65           | 3.76                | (-) 6.41          | 12.33             | 17.54            |
|                                   | <b>योग</b>                 | <b>679.15</b>    | <b>(-) 0.62</b>     | <b>(-) 6.41</b>   | <b>12.29</b>      | <b>17.22</b>     |
| <b>महायोग</b>                     |                            | <b>1,842.56</b>  | <b>2,760.94</b>     | <b>302.40</b>     | <b>(-)524.67</b>  | <b>274.07</b>    |


नोट- (-) डेबिट बकाया दर्शाता है और (+) क्रेडिट बकाया दर्शाता है।

\*एल उचंत और विविध के अंतर्गत अन्य लेखे में विभागीय शेष, स्थायी नकद अग्रदाय और नकद शेष निवेश लेखे को छोड़कर अन्य खाते।

2018-23 की पाँच वर्ष की अवधि में लोक लेखा के अवशेषों की संरचना में वार्षिक परिवर्तन चार्ट-2.19 में दिया गया है।

चार्ट-2.19: लोक लेखा अवशेषों की संरचना में वर्षवार परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



जैसाकि तालिका-2.36 में दर्शाया गया है, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक घटक वार निवल-लोक लेखा शेषों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है। निवल-लोक लेखा शेष 2021-22 में ₹ (-)524.67 करोड़ से ₹ 798.74 करोड़ बढ़कर 2022-23 में ₹ 274.07 करोड़ हो गया था। यह निवल जमा एवं अग्रिम (₹ 1,025.55 करोड़), निवल आरक्षित निधि (₹ 529.20 करोड़) और प्रेषण (₹ 4.93 करोड़) में वृद्धि के कारण था जिसे निवल लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि (₹ 210.93 करोड़) उंचत एवं विविध (₹ 550.01 करोड़) द्वारा प्रतिसंतुलित कर लिया गया।


### 2.8.2 आरक्षित निधियाँ

आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती हैं। ये निधियाँ राज्य के समेकित निधि से प्राप्त अंशदान या अनुदान द्वारा बनाई जाती हैं।

31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार दस आरक्षित निधियों का संचालन कर रही थी जिसमें से तीन आरक्षित निधियाँ ब्याज सहित (₹ 2,933.92 करोड़ क्रेडिट) और सात आरक्षित निधियाँ ब्याज रहित (₹ 1,890.72 करोड़ क्रेडिट) हैं। इन दस निधियों में से, दो निधियाँ (शेष ₹ 36.48 करोड़ डेबिट) निष्क्रिय हैं और आठ निधियाँ (शेष ₹ 4,861.12 करोड़ क्रेडिट) सक्रिय हैं, जिसमें से ₹ 1,808.62 करोड़ (37.21 प्रतिशत) का निवेश किया गया था।

सक्रिय एवं निष्क्रिय निधियों के अंतर्गत संचित बकायों की प्रवृत्ति नीचे चार्ट-2.20 में दिखायी गयी है।

चार्ट-2.20: सक्रिय एवं निष्क्रिय आरक्षित निधियों की प्रवृत्ति



टिप्पणी: निष्क्रिय आरक्षित निधि में संचय डेबिट में है इसलिए इसे नकारात्मक में दिखाया गया है।

आरक्षित निधियों (सक्रिय-निष्क्रिय) में वर्ष के दौरान लेन-देन के विवरण पर नीचे चर्चा की गई है।

### 2.8.2.1 निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ

दो आरक्षित निधियाँ लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। इन दो निधियों में ₹ 36.48 करोड़ (डेबिट) का अवशेष है। इन निष्क्रिय निधियों का विवरण नीचे तालिका-2.37 में दिया गया है।

तालिका-2.37: निष्क्रिय आरक्षित निधियों का विवरण

| क्र. सं.   | निधि का नाम                          | 31 मार्च 2023 तक धनराशि (₹ करोड़ में) | स्थापना वर्ष | निष्क्रिय (कब से) |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| 1.         | शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि | 0.01 (क्रेडिट)                        | 2000-01      | 2007-08           |
| 2.         | विद्युत विकास निधि                   | 36.49 (डेबिट)                         | 2005-06      | 2015-16           |
| <b>योग</b> |                                      | <b>36.48 (डेबिट)</b>                  |              |                   |

### 2.8.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार ने 2010-11 में आपदा राहत निधि के स्थान पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस डी आर एफ) की स्थापना की। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र और विशेष श्रेणी राज्यों जैसे उत्तराखण्ड को इस निधि में 90:10 के अनुपात में योगदान करना है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह योगदान लोक-लेखे के अंतर्गत मुख्य लेखा शीर्ष 8121 में हस्तांतरित करना है। वर्ष के दौरान किए गए व्यय मुख्य लेखा-शीर्ष 2245 द्वारा संचालित होंगे। आपदा प्रतिक्रिया पर वर्ष के दौरान किए गए व्यय को लोक खाते

को डेबिट के साथ व्यय मुख्य लेखा शीर्ष 2245 को विपरीत कटौती डेबिट प्रविष्टि करके समायोजित किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में व्यय हेतु धन अपर्याप्त होता है तो भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन डी आर एफ) से अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। एन डी आर एफ के अंतर्गत प्रदान की गई सम्पूर्ण निधि को सीधे प्राकृतिक आपदा पर खर्च किया जाता है। वर्ष 2022-23 के लिए एस डी आर एफ पर भारित व्यय का विवरण तालिका-2.38 तथा एस डी आर एफ के विवरण तालिका-2.39 में दिये गये हैं।

तालिका-2.38: एस डी आर एफ पर भारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

| मुख्य लेखा शीर्ष   | लघु-लेखा शीर्ष   | 2022-23 के दौरान व्यय |
|--|--|-----------------------|
| 2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत<br>05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष | 101-आरक्षित निधि और जमा लेखों में हस्तांतरण                                | 1,748.80              |
|  | 901-कटौती-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से मिली राशि                         | (-) 874.40            |
|  | <b>उप-योग</b>  | <b>874.40</b>         |
| 2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत<br>80-सामान्य                    | 102-आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन | 50.66                 |
|  | 800-अन्य व्यय  | 4.71                  |
|  | <b>उप-योग</b>  | <b>55.37</b>          |
| <b>महायोग</b>  |  | <b>929.77</b>         |

स्रोत: वित्त लेखे।

तालिका-2.39: एस डी आर एफ का विवरण

(₹ करोड़ में)

| प्रारम्भिक शेष (01 अप्रैल 2022) | केंद्र द्वारा योगदान | राज्यांश | योग    | निकाली गई राशि (मुख्य शीर्ष 2245-05) | निधि में शेष राशि (31 मार्च 2023) | वर्ष के दौरान आर बी आई के माध्यम से निवेश की गई राशि |
|---------------------------------|----------------------|----------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 2.27                            | 787.20               | 87.20    | 874.40 | 874.40                               | 2.27                              | शून्य  |

स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान एस डी आर एफ से न तो कोई निवेश किया है और न ही बकाया निधि पर कोई ब्याज दिया है जो एस डी आर एफ के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सरकार द्वारा कहा गया कि आँकड़ों का मिलान किया जायेगा एवं एस डी आर एफ के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रयत्न किए जाएँगे।

### 2.8.2.3 राज्य आपदा शमन कोष (एस डी एम एफ)

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के अन्तर्गत राज्य आपदा शमन कोष (एस डी एम एफ) का गठन किया जाना है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष

(एस डी आर एफ)/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एन डी आर एफ) के दिशानिर्देशों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के अन्तर्गत आने वाली आपदा के संबंध में विशेष रूप से शमन परियोजनाओं हेतु यह कोष बनाया गया है। राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 710/XVIII (2)/08-3(15)/2007 दिनांक 05 मई 2008 के माध्यम से मुख्य लेखाशीर्ष 8121-130- राज्य आपदा शमन कोष बनाया है। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से ₹ 98.40 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 21.80 करोड़ है। राज्य सरकार ने निधि में ₹ 120.20 करोड़ हस्तांतरित किए। हालांकि, राज्य ने ₹ 87.92 करोड़ (डेबिट शेष) की शेष धनराशि छोड़कर कोष से ₹ 208.12 करोड़ की धनराशि निकाल ली। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 187.40 करोड़ का केंद्रीय अनुदान प्राप्त हुआ, समतुल्य राज्यांश को आज तक निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया।

#### 2.8.2.4 प्रतिभूति मोचन निधि

वर्ष 2006-07 में उत्तराखण्ड सरकार ने प्रतिभूति मोचन निधि का गठन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य निकायों द्वारा ली गयी उधारियों एवं सरकार द्वारा जारी बॉन्ड के संबंध में जारी प्रतिभूतियों एवं लाभार्थियों द्वारा मांगे गए भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए किया था। निधियों के संचय का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटियों के भुगतान हेतु ही किया जाना है न कि संस्थाओं, जिनकी तरफ से प्रतिभूति दी गई है, के भुगतान हेतु।

उत्तराखण्ड राजपत्र अधिसूचना दिसम्बर 2006 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को बकाया लागू की गयी प्रतिभूति के कम से कम पांचवें हिस्से के बराबर धनराशि का योगदान करना आवश्यक है, साथ ही वर्ष के दौरान जारी की गई वृद्धिशील प्रतिभूति के परिणामस्वरूप लागू होने वाली प्रतिभूति की धनराशि का योगदान करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निधियों का निवेश किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया कि 2022-23 के दौरान कोई प्रतिभूति नहीं माँगी गई थी। चालू वर्ष के दौरान, समेकित निधि से प्रतिभूति मोचन निधि में अपेक्षित योगदान ₹ 74.87<sup>10</sup> करोड़ के सापेक्ष ₹ 10.00 करोड़ की धनराशि का ही योगदान किया गया था। ₹ 64.87 करोड़ के कम योगदान के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय कम दर्शाया गया। ₹ 23.45 करोड़ के प्राप्त होने वाले प्रतिभूति कमीशन शुल्क के सापेक्ष ₹ 4.57 करोड़ प्राप्त हुए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.88 करोड़ का कमीशन शुल्क कम प्राप्त हुआ। उत्तराखण्ड राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर 2016 के अनुसार प्राप्त होने वाले प्रतिभूति शुल्क को प्रतिभूति मोचन निधि के अंतर्गत लोक लेखे में जमा

<sup>10</sup> वर्ष के दौरान जारी की गयी वृद्धिशील प्रतिभूतियों के परिणामस्वरूप बकाया लागू की गई प्रतिभूतियों की धनराशि का पाँचवाँ हिस्सा

कराना होता है। जबकि राज्य सरकार द्वारा ₹ 4.57 करोड़ में से ₹ 0.99 करोड़ राजस्व प्राप्त के रूप में दर्ज किया गया। इसके फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व अधिशेष को अधिक दर्शाया गया तथा राजकोषीय घाटे को कम दर्शाया गया था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान राज्य सरकार द्वारा कहा गया कि आंकड़ों का समाधान किया जायेगा। विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रतिभूति मोचन निधि से किए गए निवेश से औसत आय 7.86 प्रतिशत थी। प्रतिभूति मोचन निधि का विवरण तालिका-2.40 में दिया गया है।

तालिका-2.40: प्रतिभूति मोचन निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

| प्रारम्भिक शेष<br>(01 अप्रैल<br>2022)         | निधि में जमा<br>(योगदान और ब्याज) |  | निधि से<br>भुगतान | निधि में<br>कुल शेष      | वर्ष के दौरान<br>आर बी आई<br>द्वारा निवेश की<br>गई धनराशि | अंतिम शेष<br>(31 मार्च<br>2023) |
|---|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------------|---|---------------------------------|
|   | वांछित स्तर का<br>योगदान          | वास्तविक किया<br>गया योगदान                  |                   |                          |   |                                 |
| 153.92<br>(95.00 मूलधन<br>एवं<br>58.92 ब्याज) | 74.87 (374.34*1/5)                | 22.83<br>(10.00 मूलधन<br>एवं<br>12.83 ब्याज) | शून्य             | 176.75<br>(105.00+71.75) | 176.75  | शून्य                           |

स्रोत: वित्त लेखे।

### 2.8.2.5 राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि

उत्तराखण्ड राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि की स्थापना उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सितम्बर 2018 में, प्राप्त हुई धनराशि के प्रबंधन हेतु तथा एकत्र हुए पैसों को प्रतिपूर्ति वनीकरण के उपयोग हेतु, प्राकृतिक पुनर्जनन हेतु सहायक बनने, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, बुनियादी ढाँचागत विकास, वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा मामले तथा आकस्मिक मामलों पर व्यय करने हेतु की गई थी। इस निधि के अंतर्गत लेखांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश भारत सरकार के वन, जलवायु परिवर्तन एवं वातावरण मंत्रालय द्वारा नवम्बर 2018 में जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा हालाँकि अभी तक इन दिशा-निर्देशों को अपनाया नहीं गया है और लेखांकन प्रक्रिया<sup>11</sup> को लागू नहीं किया है। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य को राष्ट्रीय प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि से उत्तराखण्ड के अंश के रूप में ₹ 119.00 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 256.68 करोड़ (₹ 150.00 करोड़ ब्याज हेतु + ₹ 106.68 करोड़ उपभोक्ता शुल्क हेतु) की धनराशि मुख्य लेखाशीर्ष '8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि' के अंतर्गत राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि में जमा की गई। निधि से ₹ 229.72 करोड़ की राशि आहरित की गयी जिससे 31 मार्च 2023 को निधि में ₹ 3,019.57 करोड़ राशि शेष थी।

<sup>11</sup> यह दिशानिर्देश बताते हैं, कि उपयोगकर्ता एजेंसियों से राज्य सरकार को प्राप्त धनराशियों को मुख्य शीर्ष 8336 सिविल जमा के नीचे लघु शीर्ष "राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण जमा" में डाला जायेगा। इसमें से 90 प्रतिशत राज्य के लोक लेखे में मुख्य शीर्ष-8121-129 में हस्तांतरित किया जाएगा एवं 10 प्रतिशत राष्ट्रीय निधि में। इसी तरह व्यय शुरुआत में मुख्य शीर्ष-2406 के तहत दर्ज किया जाएगा तत्पश्चात संबंधित मुख्य लेखा शीर्ष-2406 में घटाए वापसी दर्ज कर लोक लेखे के मुख्य शीर्ष-8121-129 में हस्तांतरित किया जाएगा।



### 2.8.3 ब्याज सहित आरक्षित निधियों एवं जमाओं के सापेक्ष ब्याज की देनदारियों का निर्वहन न करना

राज्य सरकार श्रेणी जे-आरक्षित निधियाँ (अ- ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ) और के-जमा और अग्रिम (अ- ब्याज वाली जमा) के अन्तर्गत शेष राशि के संबंध में ब्याज का भुगतान/समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है, और इस उद्देश्य के लिए मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची में विशिष्ट उप-मुख्य लेखाशीर्ष प्रदान किए गये हैं।

तदनुसार, ₹ 122.68 करोड़ ब्याज देनदारियाँ थीं जो राज्य सरकार को वर्ष 2022-23 के दौरान भुगतान करने की आवश्यकता थी जैसाकि तालिका-2.41 में दिया गया है।

तालिका-2.41: आरक्षित निधि और जमाओं में ब्याज की अनिर्वाहित देयता का विवरण (₹ करोड़ में)

| क्षेत्र          | उप-क्षेत्र   | ब्याज की दर  | 2022-23 की शुरुआत में अवशेष | देय ब्याज     | ब्याज भुगतान  |
|------------------|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|
| जे-आरक्षित निधि  | (अ) ब्याज सहित आरक्षित निधि (एस डी आर एफ)                    | 7.49 प्रतिशत (एस डी आर एफ के दिशा-निर्देशों अनुसार)  | 2.27                        | 0.17          | --            |
|                  | (ब) ब्याज सहित आरक्षित निधि (एस सी ए एफ)                     | 3.35 प्रतिशत (जैसाकि प व एवं ज प मंत्रालय द्वारा बताया गया है)                                 | 2,873.61                    | 96.27         | 150.00*       |
| के-जमा और अग्रिम | (स) ब्याज सहित जमा (सी पी एस मुख्य शीर्ष-8342-117 को छोड़कर) | 5.49 प्रतिशत (अर्थात्पाय ब्याज दर का औसत)  | 370.33                      | 20.33         | 74.33*        |
|                  | एन पी एस के अन्तर्गत अहस्तांतरित धनराशि (8342-117)           | ब्याज की गणना सरकार द्वारा अधिसूचित/ सामान्य भविष्य निधि को देय 7.10 प्रतिशत की दर से की गई है | 83.21                       | 5.91          | 20.00*        |
| <b>कुल ब्याज</b> |  |  |                             | <b>122.68</b> | <b>244.33</b> |

स्रोत : वित्त लेखों 2022-23, उत्तराखण्ड सरकार का एन टी ए।

\* विगत अवधि के लिए भुगतान सम्मिलित है।

चालू वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 122.68 करोड़ देय ब्याज के स्थान पर ₹ 244.33 करोड़ ब्याज के रूप में भुगतान किया। ₹ 121.65 करोड़ के अधिक भुगतान से राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा उस स्तर तक प्रभावित हुआ।


## 2.9 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन वांछित धनराशि जुटाने हेतु सरकार के ऋण के प्रबन्धन के लिए एक रणनीति की स्थापना एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया है जो जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं किसी अन्य प्रभुत्व ऋण प्रबन्धन के लक्ष्यों, जिसे सरकार ने अधिनियमित किया हो या वार्षिक बजट के द्वारा घोषणा की हो, को प्राप्त करना है।

### 2.9.1 सम्पूर्ण ऋणों की प्रवृत्ति

2022-23 के अंत में प्रभावी बकाया ऋण ₹ 72,860 करोड़ था। 2018-19 से 2022-23 के दौरान वर्षवार कुल ऋणों को नीचे चार्ट-2.21 में दिखाया गया है।

चार्ट-2.21: सम्पूर्ण ऋणों की प्रवृत्ति



टिप्पणी: जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में संचित ₹ 5,649 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण (वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु क्रमशः ₹ 2,316 करोड़ और ₹ 3,333 करोड़) को स रा घ उ से बकाया ऋण के अनुपात की गणना में शामिल नहीं किया गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार इस उधार को वित्त आयोग, आदि द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य का ऋण नहीं माना जाएगा।

### 2.9.2 ऋण संरचना: घटक

राज्य सरकार के कुल ऋणों में आमतौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखों की देयता शामिल हैं। उत्तराखण्ड के एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार कुल देनदारियों का अर्थ है राज्य की समेकित निधि एवं राज्य के लोक लेखे के अंतर्गत देनदारियाँ। घटक-वार ऋण प्रवृत्तियाँ नीचे तालिका-2.42 में दिखाई गई हैं।

तालिका-2.42: घटकवार ऋण प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

|                                   | 2018-19  | 2019-20  | 2020-21  | 2021-22  | 2022-23  |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| बकाया ऋण                          | 58,039   | 65,982   | 71,435   | 71,374   | 72,860   |
| लोक ऋण                            | 46,233   | 50,250   | 54,799   | 55,553   | 56,510   |
| (i) आंतरिक ऋण                     | 45,443   | 49,437   | 53,302   | 53,759   | 53,559   |
| (ii) भा स से ऋण                   | 790      | 813      | 1,497    | 1,794    | 2,951    |
| लोक लेखा देयताएँ                  | 11,806   | 15,732   | 16,636   | 15,821   | 16,350   |
| (i) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि     | 7,899    | 8,565    | 8,997    | 9,331    | 9,453    |
| (ii) संरक्षित निधि                | 573      | 3,332    | 3,422    | 2,954    | 3,016    |
| (iii) जमा                         | 3,334    | 3,835    | 4,217    | 3,536    | 3,881    |
| बकाया कुल देयता की वृद्धि दर      | 11.98    | 13.69    | 8.26     | (-) 0.09 | 2.08     |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) | 2,30,314 | 2,39,247 | 2,36,860 | 2,72,159 | 3,02,621 |
| देयता/ स रा घ उ (प्रतिशत)         | 25.20    | 27.58    | 30.16    | 26.23    | 24.08    |

|   | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>ऋण और अन्य देनदारियाँ (वित्तीय लेखों के विवरण 6 के अनुसार)</b> |         |         |         |         |         |
| कुल प्राप्तियाँ   | 22,225  | 22,194  | 23,327  | 16,326  | 18,188  |
| कुल पुनर्भुगतान   | 16,017  | 14,251  | 15,558  | 13,053  | 16,703  |
| कुल उपलब्ध पूँजी  | 6,208   | 7,943   | 7,769   | 3,273   | 1,485   |
| पुनर्भुगतान/ प्राप्तियाँ (प्रतिशत)                                | 72.07   | 64.21   | 66.70   | 79.95   | 91.84   |

स्रोत: वित्त लेखे।

टिप्पणी: जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में संचित ₹ 5,649 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण (वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु क्रमशः ₹ 2,316 करोड़ और ₹ 3,333 करोड़) को स रा घ उ से बकाया ऋण के अनुपात की गणना में शामिल नहीं किया गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार इस उधार को वित्त आयोग, आदि द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य का ऋण नहीं माना जाएगा।


राज्य सरकार की कुल देनदारियों में ₹ 14,821 करोड़ (25.54 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है, जो 2018-19 में ₹ 58,039 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 72,860 करोड़ हो गई हैं। हालांकि, यह पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1,486 करोड़ (2.08 प्रतिशत) बढ़ी हैं। इसके अतिरिक्त, आंतरिक ऋण में ₹ 200 करोड़ (-0.37 प्रतिशत) की कमी आई और भारत सरकार से ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1,157 करोड़ (64.49 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2018-23 की अवधि के दौरान लोक लेखे पर देनदारियों में ₹ 4,544 करोड़ (38.49 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, लोक लेखा देनदारियों के सभी घटकों में मामूली वृद्धि के कारण लोक लेखे पर देनदारियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 529 करोड़ (3.34 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

### 2.9.3 2022-23 के अंत में बकाया समय देनदारियों का विवरण

2022-23 के अंत में राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण ₹ 72,860 करोड़ था। आंतरिक ऋण, जो मुख्य रूप से बाजार ऋण (₹ 53,559 करोड़) है, कुल बकाया ऋण का 74 प्रतिशत है। चार्ट-2.22 में ऋण का घटक-वार विवरण नीचे दिया गया है:

चार्ट-2.22: वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में बकाया देनदारियों का विवरण

(₹ करोड़ में)



टिप्पणी: बकाया कुल देयता में भा स से वर्ष 2021-22 तक जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैंक टू बैंक ऋण ₹ 5,649 करोड़ सम्मिलित नहीं है।

### 2.9.4 घटक-वार ऋण की प्रवृत्ति

2018-19 से 2022-23 तक की अवधि में शामिल आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण, लोक लेखे के ऋण की प्रवृत्तियाँ नीचे तालिका-2.43 तथा चार्ट-2.23 में दर्शाई गई हैं।


तालिका-2.43: घटक-वार ऋण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

| वर्ष    | बाज़ार उधारियाँ | भारत सरकार से ऋण | एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ | वित्तीय संस्थानों से ऋण | लघु बचतें/ भविष्य निधि | आरक्षित निधि | जमा एवं अग्रिम |
|---------|-----------------|------------------|--|-------------------------|------------------------|--------------|----------------|
| 2018-19 | 31,951.60       | 789.91           | 9,427.01                               | 4,064.10                | 7,899.49               | 573.45       | 3,333.70       |
| 2019-20 | 36,451.59       | 812.87           | 8,645.99                               | 4,339.10                | 8,565.28               | 3,332.06     | 3,835.28       |
| 2020-21 | 41,660.05       | 1,497.10         | 7,864.97                               | 3,776.54                | 8,996.74               | 3,421.96     | 4,217.28       |
| 2021-22 | 43,460.04       | 1,794.32         | 6,753.88                               | 3,545.25                | 9,330.62               | 2,954.39     | 3,536.19       |
| 2022-23 | 44,910.79       | 2,951.36         | 5,312.70                               | 3,334.93                | 9,453.58               | 3,016.02     | 3,880.66       |

चार्ट-2.23: घटक-वार ऋण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)




टिप्पणी: बकाया कुल देयता में जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में संचित बैंक टू बैंक ऋण ₹ 5,649 करोड़ (2021-22 एवं 2020-21 हेतु क्रमशः ₹ 3,333 करोड़ और ₹ 2,316 करोड़) सम्मिलित नहीं है।

### 2.9.5 लिये गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान

2018-19 से 2022-23 के दौरान आन्तरिक ऋणों को प्राप्त करने और पुनर्भुगतान करने की संरचना चार्ट-2.24 में दी गई है।

चार्ट-2.24: लिये गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)



राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण प्रतिरूप में एक रचनात्मक बदलाव आया है जैसाकि तालिका-2.44 में दिखाया गया है।

तालिका-2.44: राजकोषीय घाटा के घटक और उसके वित्त पोषण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण                                       | 2018-19   | 2019-20   | 2020-21   | 2021-22   | 2022-23   |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| अ        | राजकोषीय घाटे के घटक (1 से 3)               | (-) 7,320 | (-) 7,657 | (-) 5,439 | (-) 3,736 | (-) 2,949 |
| 1.       | राजस्व घाटा (-)/अधिशेष(+)                   | (-) 980   | (-) 2,136 | (+)       | (+) 4,128 | (+) 5,310 |
| 2.       | निवल पूँजीगत व्यय                           | (-) 6,184 | (-) 5,414 | (-) 6,538 | (-) 7,534 | (-) 8,183 |
| 3.       | निवल ऋण और अग्रिम                           | (-) 156   | (-) 107   | (-) 14    | (-) 330   | (-) 76    |
| ब        | राजकोषीय घाटे की वित्तपोषण पद्धति           |           |           |           |           |           |
| 1.       | निवल लोक ऋण                                 | (+) 5,217 | (+) 4,017 | (+)       | (+) 4,088 | (+) 956   |
| अ.       | निवल बाजार उधारियाँ                         | (+) 5,289 | (+) 4,500 | (+)       | (+) 1,800 | (+) 1,450 |
| ब.       | भारत सरकार से निवल ऋण                       | (+) 61    | (+) 23    | (+)       | (+) 3,630 | (+) 1,157 |
| स.       | एन एस एस एफ को जारी निवल विशेष प्रतिभूतियाँ | (-) 411   | (-) 781   | (-) 781   | (-) 1,111 | (-) 1,441 |
| द.       | वित्तीय संस्थानों से निवल ऋण <sup>12</sup>  | (+) 278   | (+) 275   | (-) 563   | (-) 231   | (-) 210   |
| 2.       | निवल लोक लेखे                               | (+) 1,843 | (+) 2,761 | (+) 302   | (-) 525   | (+) 274   |
| अ.       | निवल लघु बचत, भ नि आदि                      | (+) 890   | (+) 666   | (+) 431   | (+) 334   | (+) 123   |
| ब.       | निवल जमा और अग्रिम                          | (-) 11    | (+) 501   | (+) 382   | (-) 681   | (+) 344   |
| स.       | निवल उचंत और विविध                          | (+) 173   | (-) 1,164 | (-) 595   | (+) 278   | (-) 272   |
| द.       | निवल प्रेषण                                 | (+) 679   | (-) 01    | (-) 6     | (+) 12    | (+) 17    |
| ड.       | निवल आरक्षित निधि                           | (+) 112   | (+) 2,759 | (+) 90    | (-) 468   | (+) 62    |
| 3.       | निवल आकस्मिकता निधि                         | (+) 110   | (+) 68    | (-) 225   | (+) 224   | (+) 90    |
| 4.       | नकद शेष राशि में वृद्धि                     | (+) 150   | (+) 811   | (-) 1,503 | (-) 51    | (+) 1,629 |

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

<sup>12</sup> निवल अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

2022-23 में राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से नकद शेष में वृद्धि (55.24 प्रतिशत), बाजार से लिए गए उधार (49.17 प्रतिशत) एवं भारत सरकार से ऋण (39.23 प्रतिशत) द्वारा प्रबंधित किया गया था। यह एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों (48.86 प्रतिशत) में गिरावट से प्रतिसंतुलित हुआ। वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण चार्ट-2.25 में दिया गया है।

चार्ट-2.25: राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण

| राजकोषीय देयताएं (2022-23)          |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| नकद अवशेष में वृद्धि/कमी            | 1,629  | 78,509 |
| आकस्मिता निधि                       | 90     |        |
| आरक्षित निधि                        | 62     |        |
| प्रेषण                              | 17     |        |
| ऊंचत एवं विविध                      | -272   |        |
| जमा एवं अग्रिम                      | 344    |        |
| लघु बचत, भ नि आदि                   | 123    |        |
| वित्तीय संस्थाओं से ऋण              | -210   |        |
| एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ | -1,441 |        |
| भारत सरकार से ऋण                    | 1,157  |        |
| बाजार ऋण                            | 1,450  | 77,024 |
| राजकोषीय देयताएं (2021-22)          |        |        |

### 2.9.6 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान रूपरेखा राज्य सरकार की ओर से ऋणों के पुनर्भुगतान या ऋण शोधन की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। राज्य के लम्बित ऋणों एवं अग्रिमों (लोक ऋण) की परिपक्वता रूपरेखा तालिका-2.45 और चार्ट-2.26 में दी गयी है।


तालिका-2.45: लोक ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

| परिपक्वता का वर्ष          | परिपक्वता रूपरेखा | धनराशि           |                             |                  | लोक ऋण का प्रतिशत |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
|                            |                   | आंतरिक ऋण        | भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | योग              |                   |
| 2023-24 तक                 | 0-1 वर्ष          | 3,248.00         | 68.63                       | 3,316.63         | 5.87              |
| 2024-25 एवं 2025-26 के बीच | 1-3 वर्ष          | 7,746.90         | 112.27                      | 7,859.17         | 13.91             |
| 2026-27 एवं 2027-28 के बीच | 3-5 वर्ष          | 12,956.57        | 110.52                      | 13,067.09        | 23.12             |
| 2028-29 एवं 2029-30 के बीच | 5-7 वर्ष          | 12,132.17        | 116.97                      | 12,249.14        | 21.68             |
| 2030-31 से आगे             | 7 वर्ष से ऊपर     | 14,139.06        | 438.31                      | 14,577.37        | 25.80             |
| अन्य                       | उ न               | 3,335.73         | 2,104.63                    | 5,440.36         | 9.63              |
| <b>योग</b>                 |                   | <b>53,558.43</b> | <b>2,951.33</b>             | <b>56,509.76</b> | <b>100</b>        |

टिप्पणी: भारत सरकार से ऋण, वर्ष 2021-22 तक के जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैंक टू बैंक ऋण ₹ 5,649 करोड़ के अतिरिक्त है। इस ऋण की ऋण सेवा जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से की जाएगी और इसलिए, पुनर्भुगतान दायित्व राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जाएगा।

चार्ट-2.26: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा




31 मार्च 2023 को लोक ऋणों की लम्बित पूँजी की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि लम्बित लोक ऋण ₹ 56,509.76 करोड़<sup>13</sup> में से, 64.58 प्रतिशत (₹ 36,492.04 करोड़) अगले सात वर्षों में भुगतान योग्य हैं जबकि 25.80 प्रतिशत (₹ 14,577.37 करोड़) ऋण सात वर्ष से अधिक के परिपक्वता कोष्ठक में हैं। बकाया 9.63 प्रतिशत की परिपक्वता रूपरेखा उपलब्ध नहीं है। जिसमें मुख्य रूप से वित्तीय संस्थानों से आंतरिक ऋण (जी आई सी, एल आई सी, एस बी आई, नाबार्ड, एन सी डी सी आदि) ₹ 3,335.73 करोड़ (5.37 प्रतिशत) और पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को ऋण के रूप में विशेष सहायता योजना के रूप में भारत सरकार से ऋण ₹ 2,062.93 करोड़ (3.32 प्रतिशत) सम्मिलित है। बाजार से उधार, नाबार्ड से ऋण, केन्द्र सरकार की एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों से बने आन्तरिक ऋण (₹ 53,558.43 करोड़) कुल बकाया लोक ऋण का 94.78 प्रतिशत है। दस वर्ष की अवधि में बकाया बाजार ऋण राशि तथा उस पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज का विवरण तालिका 2.46 एवं चार्ट-2.27 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.46: ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान (₹ करोड़ में)

| वर्ष       | पुनर्भुगतान         |                  |                  |
|------------|---------------------|------------------|------------------|
|            | लोक ऋण (बाजार ऋण)** | ब्याज            | योग              |
| 2023-24    | 2,500               | 3,484.12         | 5,984.12         |
| 2024-25    | 2,400               | 3,256.22         | 5,656.22         |
| 2025-26    | 3,900               | 3,046.11         | 6,946.11         |
| 2026-27    | 5,450               | 2,721.57         | 8,171.57         |
| 2027-28    | 6,660               | 2,313.61         | 8,973.61         |
| 2028-29    | 6,300               | 1,798.72         | 8,098.72         |
| 2029-30    | 5,100               | 1,269.78         | 6,369.78         |
| 2030-31    | 6,200               | 901.81           | 7,101.81         |
| 2031-32    | 3,200               | 475.73           | 3,675.73         |
| 2032-33    | 3,200               | 247.25           | 3,447.25         |
| <b>योग</b> | <b>44,910</b>       | <b>19,514.92</b> | <b>64,424.92</b> |

\*\*बाजार ऋण के अतिरिक्त सार्वजनिक ऋण घटकों के संबंध में ब्याज की गणना सूचना यानि वित्त खाते में परिपक्वता प्रोफाइल और ब्याज की दर की अनुपलब्धता को देखते हुए संभव नहीं है।

<sup>13</sup> इसमें जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में संचित बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 5,649 करोड़ (2021-22 एवं 2020-21 हेतु क्रमशः ₹ 3,333 करोड़ और ₹ 2,316 करोड़) को शामिल नहीं किया गया है। इस ऋण की ऋण सेवा जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से की जाएगी और इसलिए, पुनर्भुगतान दायित्व राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जाएगा।



नोट 31 :मार्च 2023 को बकाया बाजार ऋणों के लिए परिपक्वता रूपरेखा विकसित की गई है और ब्याज उस वित्तीय वर्ष तक के लिए आगणित किया गया है जिसमें ऋण समाप्त होंगे।

राज्य को अगले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2025-26 तक बाजार ऋणों का ₹ 8,800 करोड़ और ब्याज का ₹ 9,786 करोड़ का भुगतान करना होगा। अगले दो वर्षों 2027-28 तक, मूलधन ₹ 12,110 करोड़ और ब्याज ₹ 5,035 करोड़ देय होगा। ऋण और ब्याज के रूप में अगले पाँच वर्षों के दौरान 2027-28 तक ₹ 7,146.20 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा।

2028-29 से 2032-33 की अवधि के दौरान, ₹ 24,000 करोड़ के ऋण और ₹ 4,693.27 करोड़ का ब्याज भुगतान देय होगा। ऐसे ही 2027-28 से 2031-32 की अवधि में लगभग ₹ 4,809.39 करोड़ का वार्षिक भुगतान राज्य को करना होगा। ब्याज सहित चालू वर्ष का ऋण पुनर्भुगतान ₹ 5,738.65 करोड़ है।

### 2.9.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदंडों: डोमर दृष्टिकोण और संबंधित एफ आर बी एम लक्ष्यों के लिए मैक्रो-राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन के आधार पर किया गया है। यह एक बहुत ही जटिल मुद्दा है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से भविष्य को देखते हुये आसान आकलन छूट जाता है। यह एक "ज्ञात अज्ञात पर सूचित न्याय" है। तथापि, लोक ऋण का स्तर जितना उच्च होगा राजकोषीय नीति और लोक ऋण अस्थिर होने की उतनी ही अधिक संभावना है क्योंकि उच्च ऋण को बनाए रखने के लिए उच्च प्राथमिक आधिक्य की आवश्यकता होती है। एक उच्च स्तर का ऋण बहुत सी चुनौतियाँ प्रदान करता है:

- उच्च स्तरीय ऋण सेवा हेतु विशाल प्राथमिक राजकोषीय आधिक्य आवश्यक है; आर्थिक और राजनीतिक तौर पर ऐसे आधिक्य को बनाये रखना मुश्किल हो सकता है।
- एक उच्च स्तरीय ऋण ब्याज दर और विकास में झटकों के प्रति अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाता है।
- एक उच्च ऋण स्तर सामान्यतः उच्चतर उधार आवश्यकताओं से सम्बन्धित है और इसलिए यह एक रोलओवर संकट (यानी निजी स्रोतों से उधारियों की आवश्यकताओं



को पूरा करने में असमर्थ होना या केवल उच्च ब्याज दर पर ऐसा करने में समर्थ होना) है।

- उच्च स्तरीय ऋण आर्थिक विकास के लिये हानिकारक हो सकते हैं, जबकि निम्न विकास अपने आप में चिन्ता का कारण है, और इसका लम्बे समय तक ऋणों की गतिशीलता एवं ऋणों की स्थिरता पर भी प्रभाव पड़ता है।

ऋण के प्रति कमजोरी इसके प्रोफाईल से भी सम्बन्धित होती है। मूल परिपक्वता पर अल्प अवधि के ऋण का एक बड़ा हिस्सा रोलओवर (पुनः वित्तपोषण जोखिम) एवं ब्याज दर के जोखिम को बढ़ाते हैं। लोक ऋण की स्थिरता सुनिश्चित करती है कि वह विस्फोट ना करे और सरकारें कर बढ़ाने या व्यय घटाने के लिए बाध्य न हों। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिए गए हैं:

(अ) ऋण स्थिरता को राज्य की अभी और भविष्य में अपने ऋण की अदायगी करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। ऋण स्थिरता संकेतकों में भिन्नताओं का विश्लेषण तालिका-2.47 और चार्ट-2.28 में दिया गया है।

तालिका-2.47: ऋण स्थिरता: संकेतक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

| ऋण स्थिरता के संकेतक  | 2018-19      | 2019-20      | 2020-21      | 2021-22  | 2022-23   |
|---|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| बकाया लोक ऋण  | 46,233       | 50,250       | 54,799**     | 55,553** | 56,510**  |
| बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर   | 12.72        | 8.69         | 9.05         | 1.38     | 1.72      |
| स रा घ उ  | 2,30,314     | 2,39,247     | 2,36,860     | 2,72,159 | 3,02,621  |
| स रा घ उ की वृद्धि दर   | 4.58         | 3.88         | (-) 1.00     | 14.90    | 11.19     |
| ऋण/ स रा घ उ अनुपात   | 20.07        | 21.00        | 23.14        | 20.41    | 18.67     |
| राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा-जिसमें चूक इतिहास, यदि कोई हो, शामिल है | 1,464        | 1,099        | 1,601        | 2,237    | 2,594     |
| बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)  | 8.78         | 7.81         | 7.65         | 7.60     | 7.50      |
| बकाया लोक ऋण पर ब्याज भुगतान  | 3,830        | 3,770        | 4,018        | 4,194    | 4,201     |
| ब्याज भुगतान के बिना राजस्व घाटा/अधिशेष   | 2,850        | 1,634        | 5,132        | 8,322    | 9,511     |
| राजस्व घाटा/अधिशेष पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत   | 390.81       | 176.50       | 360.68       | 101.60   | 79.11     |
| ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)   | 12.27        | 12.27        | 10.52        | 9.74     | 8.56      |
| ऋण प्राप्ति में ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत <sup>#</sup>                                  | 28.27        | 34.66        | 29.85        | 45.30    | 81.00     |
| राज्य के लिए उपलब्ध शुद्ध ऋण*   | 1,388        | 247          | 2,848        | (-)106   | (-) 3,244 |
| ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध शुद्ध ऋण                                    | 19.08        | 4.02         | 29.10        | (-)1.42  | (-) 64.42 |
| प्राथमिक घाटा (-)/प्राथमिक अधिशेष (+)   | (-)2,845     | (-)3,153     | (-)666       | 1,203    | 2,155     |
| ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड \$+ प्राथमिक घाटा)  | (-) 4,786.79 | (-) 5,127.83 | (-) 4,074.11 | 5,258.37 | 4,240.22  |

\* राज्य सरकार को उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान पर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है।


\*\* इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 तक के जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में संचित बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 5,649 करोड़ (वर्ष 2021-22 एवं 2020-21 हेतु क्रमशः ₹ 3,333 करोड़ और ₹ 2,316 करोड़) को शामिल नहीं किया गया है। इस ऋण की ऋण सेवा जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से की जाएगी और इसलिए, पुनर्भुगतान दायित्व राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जाएगा।

\$ क्वांटम स्प्रेड = (बकाया ऋण \* (स रा घ उ की वृद्धि दर - बकाया ऋण की औसत ब्याज दर)

# अर्थात् अग्रिम को छोड़कर

चार्ट-2.28: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



# अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर।

- गिरते ऋण-स रा घ उ अनुपात को स्थिरता की ओर ले जाने वाला माना जा सकता है। ऋण- स रा घ उ अनुपात 2018-19 में 20.07 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 23.14 प्रतिशत हो गया, जिसे स्थिरता की ओर ले जाने वाला नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, यह 2021-22 में 20.41 प्रतिशत से 2022-23 में 18.67 प्रतिशत तक गिर गया, जिसे स्थिरता की ओर ले जाने वाला माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति में कहा गया है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ क्वान्टम प्रसार शून्य है, तो ऋण- स रा घ उ अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि क्वान्टम प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक हो जाता है, तो ऋण- स रा घ उ अनुपात बढ़ेगा और यदि यह सकारात्मक है, तो ऋण-स रा घ उ अनुपात अंततः गिर जाएगा। तालिका-2.47 से पता चलता है कि यह प्रवृत्ति 2018-21 के दौरान नकारात्मक रही थी जो इंगित करती है कि ऋण-स रा घ उ अनुपात अंततः बढ़ रहा होगा। हालाँकि, 2021-23 के दौरान यह प्रवृत्ति सकारात्मक रही थी इसलिए ऋण- स रा घ उ अनुपात में गिरावट आ रही है।
- लोक ऋण पर ब्याज भुगतान 2018-23 के दौरान राजस्व घाटे/राजस्व अधिशेष के 79.11 प्रतिशत और 390.81 प्रतिशत के बीच था, जो काफी अधिक था।
- राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान का अनुपात भी ऋण स्थिरता का एक अच्छा संकेत है। यह अनुपात 2018-23 अवधि के दौरान 8.56 प्रतिशत और 12.27 प्रतिशत के बीच था।

- लोक ऋण प्राप्तियों में लोक ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक ऋण का अनुपात उत्पादन के बजाय ऋण सेवा के लिए उपयोग किया जाएगा। 2018-23 की अवधि के दौरान सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान का लोक ऋण प्राप्तियों से अनुपात 28.27 प्रतिशत से 81.00 प्रतिशत के बीच था।

इसके अतिरिक्त, पांच साल की अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान, स रा घ उ 6.56 प्रतिशत के सी ए जी आर से बढ़ा है और बकाया लोक ऋण थोड़ी अधिक 6.62 प्रतिशत<sup>14</sup> की सी ए जी आर से बढ़ा है।

(ब) ई डी डोमर [डोमर, 1944] के एक अध्ययन के आधार पर ऋण स्थिरता पर एक विश्लेषण किया गया था। डोमर मॉडल में कहा गया है कि लोक ऋण की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार यह है कि सरकारी ऋणों के लिए ब्याज दरें सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ब्याज दर, स रा घ उ की वृद्धि दर और प्राथमिक बजट शेष के आधार पर सार्वजनिक ऋण की गतिशीलता निम्न प्रकार है:

| जी - आर (जी: वास्तविक आर्थिक विकास दर, आर: वास्तविक ब्याज दर) | एस <0 (प्राथमिक घाटा)   | एस > 0 (प्राथमिक अधिशेष)   |
|---|---|--|
| जी-आर > 0 (मजबूत आर्थिक वृद्धि)                               | स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर अभिसरण होना चाहिए।                          | स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से कम स्थिर स्तर पर अभिसरण होना चाहिए जिससे सार्वजनिक बचत हो। |
| जी-आर <0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)                                 | जी स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर पर परिवर्तित किए बिना अनिश्चित काल के लिए बढ़ना चाहिए। | अनिर्धारित स्थिति  |

उत्तराखण्ड के मामले में उपरोक्त मापदंडों को लागू करने के परिणाम तालिका-2.48 में दर्शित हैं।

तालिका-2.48: डोमर मॉडल पर आधारित ऋण स्थिरता विश्लेषण

| वर्ष    | वास्तविक विकास (जी) | वास्तविक ब्याज (आर) | डोमर अंतराल (जी-आर) | प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) (₹ करोड़ में) (एस) | टिप्पणी   |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| 2018-19 | 2.83                | 4.65                | (-) 1.82            | (-) 2,845  | जी-आर <0 और एस <0: स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर तक परिवर्तित किए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए। |
| 2019-20 | 1.97                | 0.90                | 1.07                | (-) 3,155  | जी-आर > 0 और एस <0: स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण   |

<sup>14</sup> ₹ 5,649 करोड़ के बी 2 बी ऋण को छोड़कर।

| वर्ष    | वास्तविक विकास (जी) | वास्तविक ब्याज (आर) | डोमर अंतराल (जी-आर) | प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) (₹ करोड़ में) (एस) | टिप्पणी  |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
|         |                     |                     |                     |  | शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर अभिसरण होना चाहिए।   |
| 2020-21 | (-) 12.02           | 1.25                | (-) 13.27           | (-) 666  | जी-आर <0 और एस <0: स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर तक परिवर्तित किए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए।            |
| 2021-22 | 10.87               | 0.94                | 9.93                | 1,203  | जी-आर > 0 और एस > 0: स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक ऋण शून्य से कम स्थिर स्तर पर अभिसरण होना चाहिए जिससे सार्वजनिक बचत हो। |
| 2022-23 | 7.87                | 0.77                | 7.10                | 2,155  |  |

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

डोमर मॉडल के विश्लेषण में प्राथमिक घाटा या अधिशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सार्वजनिक ऋण संचय, सरकारी वित्त और समग्र आर्थिक स्थिरता और विकास की संभावनाओं को प्रभावित करने वाली राजकोषीय गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि:

- 2018-19 और 2020-21 में डोमर अंतर (जी-आर) नकारात्मक है, जो दर्शाता है कि वास्तविक विकास दर वास्तविक ब्याज दर से कम है और प्राथमिक घाटा नकारात्मक है। इस परिदृश्य में, स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक ऋण के स्थिर स्तर पर परिवर्तित हुए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ने की उम्मीद है।
- कोविड वर्ष (2020-21) के दौरान डोमर अंतर (जी-आर) नकारात्मक था। हालाँकि, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान डोमर अंतर स रा घ उ की उच्च विकास दर के कारण सकारात्मक हो गया। उच्च विकास दर के कारण सकारात्मक डोमर अंतराल भी पिछले वर्ष की तुलना में कम आधार के सन्दर्भ में देखा जा सकता है।
- हालाँकि, 2021-22 और 2022-23 में प्राथमिक अधिशेष क्रमशः ₹ 1,203 करोड़ और ₹ 2,155 करोड़ है। इससे पता चलता है कि स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक ऋण शून्य से कम स्थिर स्तर पर अभिसरण होना चाहिए जिससे सार्वजनिक बचत हो।

(स) केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट (एफ सी आर) में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.48 (अ): एफ सी आर में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियां

(स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में)

| राजकोषीय मापदंड                       |   | के वि आ में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां |          |          |          |          |
|---------------------------------------|---|--|----------|----------|----------|----------|
|                                       |   | 2018-19  | 2019-20  | 2020-21  | 2021-22  | 2022-23  |
| राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)           | ल | 00   | 00       | 00       | 00       | 00       |
|                                       | उ | (-) 0.43   | (-) 0.89 | 0.47     | 1.52     | 1.75     |
| राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)         | ल | (-) 3.25   | (-) 3.25 | (-) 4.5  | (-) 4.00 | (-) 3.5  |
|                                       | उ | (-) 3.18   | (-) 3.20 | (-) 2.30 | (-) 1.37 | (-) 0.97 |
| कुल बकाया देयता का स रा घ उ से अनुपात | ल | 22.56  | 22.52    | 33.20    | 33.10    | 33.90    |
|                                       | उ | 25.20  | 27.58    | 30.16*   | 26.23*   | 24.08*   |

\* इसमें जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले वर्ष 2021-22 तक संचित बैंक-टू-बैंक ऋण (वर्ष 2021-22 एवं 2020-21 हेतु क्रमशः ₹ 3,333 करोड़ और ₹ 2,316 करोड़) शामिल नहीं है।

2018-19 से 2022-23 तक राजस्व अधिशेष में सकारात्मक परिवर्तन के साथ राजस्व घाटे के अनुपात में सुधार हुआ। राजकोषीय घाटा-स रा घ उ और बकाया देयता-स रा घ उ अनुपात 2018-23 के दौरान वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर बना रहा।

इसके अतिरिक्त, राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय में कमी आई है, जो 2018-19 में 69 प्रतिशत से 2022-23 में 53 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, यह लगातार 2018-20 के दौरान लगभग 70 प्रतिशत और 2021-23 के दौरान 55 प्रतिशत रहा है, जिससे ऋण सेवा सहित अन्य उद्देश्यों के लिए राजस्व संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता दिखाई देती है।

### 2.9.8 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप में पूँजीगत रचना तथा विकास की गतिविधियों पर किया जाना चाहिये। उधार ली गई निधियों का उपयोग चालू उपभोग एवं बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी हेतु धारणीय नहीं है। विगत पाँच वर्षों में उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति तालिका-2.49 एवं चार्ट-2.29 में नीचे दिखाई गई है।

तालिका-2.49: उधार ली गई धनराशि का उपयोग


(₹ करोड़ में)

| वर्ष    | कुल उधारियाँ | पूर्व उधारियों की अदायगी (प्रतिशतता) | निवल पूँजीगत व्यय* (प्रतिशतता) | आहरित निवल ऋण एवं अग्रिम (प्रतिशतता) | कुल उधारियों में से राजस्व व्यय का भाग (प्रतिशतता) |
|---------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| 2018-19 | 7,275        | 2,057 (28)                           | 5,218 (72)                     | ला न                                 | ला न   |
| 2019-20 | 5,834        | 2,131 (37)                           | 3,703 (63)                     | ला न                                 | ला न   |
| 2020-21 | 9,787        | 2,921 (30)                           | 6,538 (67)                     | 38 (0.39)                            | ला न <sup>15</sup>                                 |
| 2021-22 | 7,473        | 3,385 (45)                           | 4,088 (55)                     | ला न                                 | ला न   |
| 2022-23 | 5,036        | 4,079 (81)                           | 957 (19)                       | ला न                                 | ला न   |

\*निवल पूँजीगत व्यय = कुल पूँजीगत व्यय - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ। ला न - लागू नहीं।

<sup>15</sup> उधार से कोई राजस्व व्यय पूरा नहीं किया गया क्योंकि राज्य के पास 2020-21 में राजस्व अधिशेष था।

चार्ट-2.29: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति



2018-23 की अवधि में, राज्य ने पहले के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए उधार का 28 से 81 प्रतिशत उपयोग किया और पूंजीगत व्यय के लिए कम जगह छोड़ी और शुद्ध पूंजीगत व्यय उपलब्ध ऋण का 19 प्रतिशत से 72 प्रतिशत के बीच था। इसके अतिरिक्त, शुद्ध पूंजीगत व्यय पर खर्च 2018-19 में 72 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 19 प्रतिशत हो गया। वित्त आयोग के अनुसार, राज्यों द्वारा राजस्व घाटा को कम करने एवं अनन्तिम रूप से समाप्त करने तथा समस्त ऋणों का उपयोग पूंजीगत व्यय हेतु करने के लिए राजस्व घाटा अनुदान दिये जा रहे हैं। वर्ष 2022-23 में जो कि वित्त आयोग अवधि का द्वितीय वर्ष है, राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 5,310 करोड़ रहा। राज्य सरकार द्वारा विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2022-23 में कम उधार लिया।

## 2.10 प्रतिभूति की स्थिति - आकस्मिक दायित्व

संविधिक निगम, सरकारी कंपनियाँ, सहकारी संस्थाएं, वित्तीय संस्थान, स्वायत्त निकाय और प्राधिकरण विशिष्ट वैधानिक इकाईयाँ हैं जो उनके ऋणों के लिए जिम्मेदार हैं। उनके वित्तीय दायित्वों की प्रतिभूति सरकार द्वारा दी जा सकती है और इस प्रकार सरकार की यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि इन्हें पूरा किया जाए। जब ये संस्थाएं सीधे बाजार से उधार लेती हैं, तो यह उन्हें सरकार के बजटीय समर्थन और सरकार के उधारों की मात्रा को कम कर देती है। हालाँकि, यह सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों के स्तर को बढ़ाता है। इस प्रकार, प्रतिभूतियां आमतौर पर सरकार की प्रासंगिक देनदारियों का गठन करती हैं और उधारकर्ता जिसके लिए प्रतिभूति दी गई है द्वारा चूक के मामले में राज्य की संचित निधि पर भारित होती हैं।

एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में उल्लेखित है कि राज्य सरकार किसी भी नियम कानून के अन्तर्गत तय सीमा से अधिक किसी भी धनराशि पर मौजूदा नियमों के अन्तर्गत प्रतिभूति प्रदान नहीं करेगी। तथापि, राज्य विधानसभा (संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत अधिकतम सीमा निर्धारित करता है, जिसके अन्तर्गत राज्य की समेकित निधि की सुरक्षा पर प्रतिभूति दे सकती है) ने संबन्धित प्रावधान को संशोधित एफ आर बी एम अधिनियम में दिसम्बर 2016 में ही कर दिया था।


वित्त लेखे के विवरण-9 और 20 के अनुसार तालिका-2.50 एवं चार्ट-2.30 में राज्य द्वारा अधिकतम राशि जिस पर प्रतिभूति दी गई और विगत पाँच वर्षों की लम्बित प्रतिभूति का विवरण दिया गया है।

तालिका-2.50: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियां

(₹ करोड़ में)

| प्रतिभूतियाँ                              | 2018-19   | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---------|---------|---------|---------|
| 31 मार्च को प्रतिभूतियों की बकाया राशि    | 893   | 854     | 717     | 374     | 117     |
| राज्य सरकार अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा | उस विशेष वर्ष के स रा घ उ के एक प्रतिशत के भीतर बकाया प्रतिभूति। किसी भी वर्ष के दौरान दी गई नई प्रतिभूति उस वर्ष के लिए स रा घ उ के 0.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। |         |         |         |         |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन                    | 251   | शून्य   | 402     | 418     | 386     |
| वर्ष के दौरान हटायी गई                    | 75  | 188     | 713     | 761     | 643     |

चार्ट-2.30: लंबित प्रतिभूतियों की स्थिति




स्रोत: वित्त लेखे।

31 मार्च 2023 को लम्बित प्रतिभूतियों की धनराशि ₹ 117 करोड़ थी, जिसमें उर्जा क्षेत्र (₹ 32 करोड़), सहकारी समितियाँ (₹ 82 करोड़) तथा अन्य (₹ तीन करोड़) शामिल है। 31 मार्च 2023 को कुल लम्बित प्रतिभूतियां ₹ 117 करोड़ थीं जो कि वर्ष के स रा घ उ की 0.04 प्रतिशत है और इसलिए ये एफ आर बी एम की सीमा के अन्दर थीं। चार्ट-2.31 में कम्पनी वार विवरण दिया गया है।

चार्ट-2.31: 31 मार्च 2023 के अंत में प्रतिभूतियाँ प्राप्त करने वाले निकाय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे।

वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूति लागू नहीं की गई। प्रतिभूति की अधिकतम धनराशि के बारे में सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई, और इसलिए विवरण उस सीमा तक अपूर्ण है। इन विवरणों में भा स ले मा-1 की आवश्यकताओं की पूर्ण पूर्ति नहीं हुई है। राज्य सरकार ने ₹ 4.57 करोड़ प्रतिभूति कमीशन के रूप में प्राप्त किए। “उत्तराखण्ड प्रतिभूति पर सिलिंग अधिनियम 2016” की आवश्यकतानुसार प्रतिभूति कमीशन को निधि कोष में प्राप्त करना चाहिए, राज्य सरकार ने प्रतिभूति कमीशन के रूप में ₹ 0.98 करोड़ की धनराशि प्रतिभूति मोचन निधि के बजाय राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्त की।

## 2.11 नकद बकाये का प्रबन्धन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को प्रतिदिन बैंक में एक न्यूनतम नकद राशि रखनी होगी। अगर किसी दिन बकाया, तय न्यूनतम से कम रहता है तो इसकी कमी को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एम ए)/विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एस डब्ल्यू एम ए)/ओवर ड्राफ्ट (ओ डी) के द्वारा समय-समय पर पूरा किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामान्य डब्ल्यू एम ए के लिए राज्य सरकार की सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार राज्य सरकार को ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम नकद बकाया प्रतिदिन बैंक में रखना होगा। 01 अप्रैल 2022 से सामान्य डब्ल्यू एम ए के लिए राज्य सरकार की सीमा ₹ 602 करोड़ थी और बैंक द्वारा एस डब्ल्यू एम ए की सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती है। 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने बिना किसी अग्रिम के 326 दिनों तक न्यूनतम प्रतिदिन नकद बकाया बैंक में रखा था। वर्ष के दौरान एस डब्ल्यू एम ए तथा ओवरड्राफ्ट का उपयोग क्रमशः 36 दिन एवं तीन दिन के लिए किया गया था।

### 2.11.1 नकद बकाये का निवेश

वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा नकद बकाया और उसमें से किया गया निवेश तालिका-2.51 में दिया गया है।

तालिका-2.51: नकद बकाया और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

|                             | 01 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक शेष | 31 मार्च 2023 को अंतिम शेष |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>अ. सामान्य नकद बकाया</b> |                                  |                            |
| कोषागार में नकद             | 0.00                             | 0.00                       |
| भारतीय रिजर्व बैंक में जमा  | 112.47                           | (-)131.82                  |
| अन्य बैंकों में जमा         | 0.00                             | 0.00                       |
| पारगमन में प्रेषण-स्थानीय   | 0.00                             | 0.00                       |
| <b>योग</b>                  | <b>112.47</b>                    | <b>(-)131.82</b>           |



|   | 01 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक शेष | 31 मार्च 2023 को अंतिम शेष |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| नकद बकाया निवेश लेखे में निवेश                              | 2,037.62                         | 653.37                     |
| <b>योग (अ)</b>  | <b>2,150.09</b>                  | <b>521.55</b>              |
| <b>ब. अन्य नकद बकाया और निवेश</b>                           |                                  |                            |
| विभागीय अधिकारियों के पास नकद, जैसे लो नि वि, वन अधिकारी    | (-) 10.71                        | (-) 10.71                  |
| विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम | (-) 0.81                         | (-) 0.81                   |
| निर्धारित निधि में निवेश                                    | 1,698.62                         | 1,808.62                   |
| <b>योग (ब)</b>  | <b>1,687.10</b>                  | <b>1,797.10</b>            |
| <b>योग (अ + ब)</b>  | <b>3,837.19</b>                  | <b>2,318.65</b>            |
| <b>अर्जित ब्याज</b>   | <b>34.23</b>                     | <b>44.17</b>               |

स्रोत: वित्त लेखे।

चालू वर्ष के अन्त में राज्य सरकार का नकद बकाया 2021-22 में ₹ 3,837.19 करोड़ से ₹ 1,518.54 करोड़ (39.57 प्रतिशत) घटकर 2022-23 में ₹ 2,318.65 करोड़ हो गया। यह मुख्यतः नकद शेष निवेश खाते में निवेश (₹ 1,384.25 करोड़) और रिजर्व बैंक के साथ जमा (₹ 244.29 करोड़) में कमी के कारण था, जो निर्धारित निधि में जमा राशि (₹ 110 करोड़) में वृद्धि से प्रतिसंतुलित हुआ था।

राज्य सरकार अपने आधिक्य नकद बकाये को भारत सरकार की लघु एवं दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों तथा कोषागार बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ को शीर्ष "0049-ब्याज प्राप्तियाँ" में प्राप्ति के अन्तर्गत क्रेडिट किया जाता है। भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों में निवेश से राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान ₹ 44.17 करोड़ ब्याज अर्जित किया।

निर्धारित निधियों में निवेशित कुल धनराशि ₹ 1,808.62 करोड़ में से, ₹ 1,703.62 करोड़ समेकित सिंकिंग निधि तथा ₹ 105 करोड़ प्रतिभूति मोचन निधि में वर्ष के अन्त में निवेशित थे। 2018-19 से 2022-23 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के नकद शेष निवेशों को तालिका-2.52 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.52: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)


| वर्ष    | प्रारम्भिक शेष | अंतिम शेष | वृद्धि (+)/कमी (-) | अर्जित ब्याज |
|---------|----------------|-----------|--------------------|--------------|
| 2018-19 | 385.49         | 247.48    | (-) 138.01         | 10.49        |
| 2019-20 | 247.48         | 00        | (-) 247.48         | 21.73        |
| 2020-21 | 00             | 1,931.57  | (+) 1,931.57       | 32.01        |
| 2021-22 | 1,931.57       | 2,037.62  | (+) 106.05         | 34.23        |
| 2022-23 | 2,037.62       | 653.37    | (-)1384.25         | 44.17        |

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष निवेश की प्रवृत्ति का विश्लेषण दर्शाता है कि 2018-19 से 2019-20 तक निवेश में उत्तरोत्तर कमी के उपरान्त 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान निवेश में वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, मुख्य शीर्ष- नकद शेष निवेश खाते में ₹ 1,384 (67.93 प्रतिशत) की कमी के साथ ₹ 653.37 करोड़ की राशि शेष पड़ी थी।

राज्य सरकार नकद शेष होने के बावजूद बाजार ऋणों का सहारा लिया जिससे इसे उत्पादक उपयोग में लाये बिना नकद शेष में वृद्धि हुई।

2018-19 से 2022-22 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा लिये गये बाजार ऋण और उपलब्ध औसत नकद शेष के बीच तुलना चार्ट-2.32 में दर्शायी गई है। बाजार ऋण उच्च ब्याज दर पर लिए गए थे जबकि कोषागार बिलों में निवेश से ब्याज कम दर पर मिला।


चार्ट-2.32: बाजार ऋण के सापेक्ष औसत नकद शेष



चार्ट-2.33 में वर्ष 2022-23 के दौरान माहवार नकद शेष निवेश लेखा और नकद शेष के बीच तुलना दर्शायी गई है।

चार्ट-2.33: 2022-23 के दौरान नकद शेष निवेश लेखा और नकद शेष की माहवार गति

(₹ करोड़ में)



पूर्ववर्ती चार्ट इंगित करता है कि राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान नकद शेष होने के बावजूद चार बार (अक्टूबर 2022 एवं जनवरी, फरवरी तथा मार्च 2023) बाजार ऋणों का सहारा लिया था। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 3,200 करोड़ बाजार से उठाये।

## 2.12 निष्कर्ष

- 2022-23 के दौरान, गत वर्ष की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों में ₹ 6,026 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि, स्वयं का कर राजस्व (₹ 2,926 करोड़), स्वयं का करेत्तर राजस्व (₹ 1,611 करोड़), संघ करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 711 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 778 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।
- 2018-23 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का औसतन 84 प्रतिशत (वर्ष 2018-23 के दौरान 83 प्रतिशत से 86 प्रतिशत के बीच) था। 2018-23 की पाँच वर्ष अवधि के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति प्रस्तुत की। वचनबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 59 प्रतिशत से 66 प्रतिशत के बीच था जबकि पाँच वर्ष की अवधि 2018-23 के दौरान, यह राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ के 53 प्रतिशत से 71 प्रतिशत के बीच लेखांकित किया गया।
- अनम्य व्यय राजस्व व्यय का छः प्रतिशत से नौ प्रतिशत के बीच था जबकि पाँच वर्ष की अवधि 2018-23 के दौरान, यह राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ के पाँच प्रतिशत से आठ प्रतिशत के बीच लेखांकित किया गया।
- चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में ₹ 661 करोड़ (8.77 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य द्वारा किया गया पूँजीगत व्यय एम टी एफ पी एस लक्ष्यों (₹ 10,471 करोड़) तथा बजट अनुमानों (₹ 10,840 करोड़) से क्रमशः ₹ 2,276 करोड़ ₹ 2,645 करोड़ कम था।
- उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था। चालू वर्ष के दौरान, बकाया ऋणों के सापेक्ष वसूल की गयी राशि ₹ 17.30 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋणों (₹ 2,378.28 करोड़) का 0.73 प्रतिशत थी।
- 2022-23 के दौरान, राज्य में कुल व्यय के अनुपात में शिक्षा, सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय उ पू एवं हिमालयी राज्यों के औसत से अधिक था। जबकि, 2018-19 और 2022-23 के दौरान राज्य में कुल व्यय के अनुपात में विकास एवं आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यय उ पू एवं हिमालयी राज्यों के औसत से कम था।
- वर्ष 2022-23 के वित्त लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2023 को लोक निर्माण के विभिन्न प्रभागों में ₹ 784.22 करोड़ की 143 अपूर्ण/ चालू परियोजनाएँ थीं। इन 143 परियोजनाओं में से 26 परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 317.87 करोड़) का अपने पूर्ण होने के लक्ष्य से दो से छः साल समयाधिक था जबकि 91 परियोजनाएँ

(अनुमानित लागत ₹ 323.49 करोड़) जो कि 2022-23 को पूर्ण होनी थी, वर्तमान तक अपूर्ण थीं। इसके अतिरिक्त, 20 परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 76.52 करोड़) का पूर्ण होने का वर्ष ज्ञात नहीं था।

- ₹ 23.44 करोड़ प्राप्त होने वाली प्रतिभूति कमीशन शुल्क के सापेक्ष, ₹ 4.57 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई जिसके फलस्वरूप ₹ 18.87 करोड़ की प्रतिभूति कमीशन शुल्क कम प्राप्त हुआ। प्राप्त हुई प्रतिभूति शुल्क को प्रतिभूति मोचन निधि के अन्तर्गत लोक लेखे में जमा करना था जबकि राज्य सरकार द्वारा ₹ 0.99 करोड़ राजस्व प्राप्त के रूप में दर्ज किया गया। इसके फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व अधिशेष अधिक दर्शाया गया था।
- पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में स रा घ उ से कुल राजकोषीय दायित्वों के अनुपात में 2.15 प्रतिशत की कमी हुई और यह 24.08 प्रतिशत पर रहा, जो कि राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) के 33.30 प्रतिशत लक्ष्य से कम था।

## 2.13 संस्तुतियाँ

- सरकार को लंबित कर दावों को समय पर निपटान, करों के निर्धारण में बकाया का निपटान एवं राजस्व के बकाया की वसूली तथा बेहतर संसाधन जुटाने के लिए करेत्तर राजस्व में सुधार करना चाहिए;
- राज्य सरकार, अपने द्वारा ली गई उधारियों की अत्यधिक उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए, लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में निवेश की गई पूँजी पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के तरीकों का पता लगा सकती है;
- राज्य सरकार विकास क्षेत्र में संसाधनों का आवंटन बढ़ा सकती है ताकि इसे उ पू एवं हिमालयी राज्यों की औसत के बराबर लाया जा सके;
- राज्य सरकार अपूर्ण परियोजनाओं के समयबद्ध समापन को सुनिश्चित कर सकती है तथा यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि आगे कोई लागत वृद्धि न हो;
- राज्य सरकार प्रतिभूति कमीशन शुल्क की वसूली सुनिश्चित कर सकती है और इसे प्रतिभूति मोचन निधि में जमा कर सकती है।